VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

(May 2018 to February 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दें (Women and Child Related Issues)..... 4

1.1. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न 4
1.2. यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस.....5
1.3. व्यभिचार.....5
1.4. भारतीय दंड संहिता की धारा 498A.....6
1.5. पितृत्व अवकाश 6
1.6. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम,2012 7
1.7. बाल संरक्षण नीति का मसौदा 8
1.8 गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 9
1.9. भारत में दत्तक ग्रहण (ADOPTION IN INDIA).....9
1.10.बाल विवाह का विनियमन 11
1.11. महिला सुरक्षा संबंधी नया प्रभाग.....12
1.12. निर्भया फंड के तहत हालिया पहलें 12
1.12.1. वन स्टॉप सेंटर्स 12
1.12.2. सुरक्षित शहर परियोजना 13
1.12.3. महिला पुलिस वालंटियर.....14

2. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections) 15

2.1. ट्रांसजेंडर से संबंधित अध्ययन 15
2.2. मैला ढोने की प्रथा.....16
2.3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 16
2.4. 2021 की जनगणना में OBC संबंधित आंकड़ों का संग्रहण 18
2.5. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 18
2.6. भारत में बंधुआ मज़दूरी (बलात श्रम) का प्रचलन 20
2.7. अखिल भारतीय पेंशन अदालत 21
2.8. राष्ट्रीय न्यास 21
2.9 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड 22
2.10 अंडमान एवं निकोबार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह.....23
2.11. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 25
2.12. वन धन विकास केंद्र.....26

3. शिक्षा (Education)..... 29

3.1 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा.....29
3.1.1. समग्र शिक्षा - एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम 29
3.1.2. RTE संशोधन विधेयक, 2019 30
3.1.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम.....30
3.1.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 31
3.1.5. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 32

VISION IAS

3.1.6. ASER वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 32
3.1.7. परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 34
3.1.8. हैप्पी स्कूल परियोजना 34
3.1.9. भारतीय शिक्षा बोर्ड 35
3.2. उच्चतर शिक्षा 35
3.2.1. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक, 2018 का प्रारूप 35
3.2.2. उत्कृष्ट संस्थान 36
3.2.3. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऐकडेमिक नेटवर्क (GIAN) कोर्स 37
3.2.4. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 37
3.2.5. 2022 तक अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों का पुनरुद्धार-कार्यक्रम (RISE) 38
3.2.6. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 39
3.2.7. अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम 39
3.2.8 भाषा संगम कार्यक्रम 39

4. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता (Health, Nutrition And Sanitation) 41

4.1. स्वास्थ्य 41
4.1.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल -2018 41
4.1.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी 42
4.1.3. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म 43
4.1.4. नेशनल हेल्थ स्टैक 43
4.1.5. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 44
4.1.6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 45
4.1.7. जनऔषधि सुविधा- ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन 46
4.1.8. आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी से संबंधित योजना 47
4.1.9. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023) 47
4.1.10. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको 49
4.1.11. विश्व स्वास्थ्य संगठन की 71वीं सभा 50
4.1.12. WHO द्वारा रोगों का नया वैश्विक वर्गीकरण 50
4.1.13. डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र 51
4.1.14 अस्ताना घोषणा 51
4.1.15. पार्टनर्स फोरम, 2018 52
4.1.16 द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 52
4.2. पोषण (NUTRITION) 52
4.2.1. गंभीर तीव्र कुपोषण हेतु दिशा-निर्देश 52
4.2.2. पोषण अभियान 54
4.2.3 मध्याह्न भोजन योजना 55
4.2.4. आशा, ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 56
4.2.5. सुर्ख़ियों में रहीं महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स 57
4.3. स्वच्छता 58
4.3.1. स्वच्छ सर्वेक्षण, 2019 58

VISION IAS

4.3.2. दरवाज़ा बंद अभियान 60
4.3.3. स्वच्छता ही सेवा अभियान 60

5. विविध (Miscellaneous) 62

5.1. SDG इंडिया इंडेक्स - बेसलाइन रिपोर्ट 2018 62
5.2 SDGs की प्रगति के आकलन हेतु 'दुबई डिक्लेरेशन को अपनाया गया 63
5.3. प्रत्यायन पर विश्व सम्मेलन 64
5.4 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट 64
5.5. दक्षिण-पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क 65
5.6. वेब वंडर वीमेन अभियान 65
5.7. महिलाओं का वैश्विक विकास और समृद्धि (W-GDP) पहल 65
5.8. गुड समैरिटन लॉ 65
5.9 रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स 66

1. महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दें (Women and Child Related Issues)

1.1. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

(Harassment of Women at Workplace)

सुर्खियों में क्यों ?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में संशोधन किया है और निजी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत किये गए अनुपालन के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रयास करता है। साथ ही यह **कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न** को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है।
- अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त करने वाली " **पीड़ित महिला**" की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है। इसमें **सभी महिलाओं** को आयु या रोजगार की स्थिति को महत्व दिए बिना शामिल किया गया है, चाहे वे संगठित क्षेत्र से हों या असंगठित क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से हों या निजी क्षेत्र से। क्लाइंट, ग्राहक और **घरेलू श्रमिक** सभी इसमें शामिल हैं।
- यह अधिनियम यौन उत्पीड़न के रूप में **प्रतिकार स्वरूप किए गए उत्पीड़न** और प्रतिकूल कार्य परिवेश को भी शामिल करता है (यदि ये यौन उत्पीड़न की किसी घटना या व्यवहार के रूप में घटित हुए हों)।
- प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में **एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अनिवार्य** है, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी होने चाहिए।
- आंतरिक शिकायत समिति को सम्मन, खोजबीन और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण आदि के सन्दर्भ में **सिविल न्यायालय की शक्तियां दी** गई हैं।
- प्रत्येक आंतरिक शिकायत समिति को NGO या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध संगठनों की सदस्यता की आवश्यकता होती है।
- सम्बन्धित राज्य के प्रत्येक जिले में एक **'स्थानीय शिकायत समिति'** गठित करना अनिवार्य है।(जो 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों से शिकायत प्राप्त करेगा या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध की गयी हो)
- शिकायतों का समाधान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक अतिरिक्त 'स्थानीय शिकायत समिति' भी गठित की जाएगी, ऐसी स्थितियों में जहां शिकायतकर्ता को आंतरिक शिकायत समिति उपलब्ध न हो या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध की गयी हो।
- यह **झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के विरुद्ध सुरक्षा** भी प्रदान करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

अधिनियम की आलोचना

- अधिनियम में **कृषि श्रमिकों और सशस्त्र बलों को सम्मिलित नहीं** किया गया है।
- यह **लैंगिक-तटस्थ कानून नहीं** है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से केवल महिलाओं की रक्षा करता है।

शी बॉक्स (SHe-Box)

- यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- एक बार पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के पश्चात्, इसे सीधे संबंधित प्राधिकरण के आंतरिक शिकायत समिति (ICC)/स्थानीय शिकायत समिति (LCC) को भेज दिया जाएगा, जिसे इस मामले से संबंधित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिकायतकर्ता दोनों जांच की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

शी बॉक्स के उपयोगकर्ताओं के पास इस पोर्टल के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ वार्ता करने का विकल्प है तथा इस संदर्भ में निश्चित समय-सीमा पर प्रतिक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

1.2. यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस

(National Database on Sexual Offenders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत **यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO)** को प्रारम्भ करने वाला विश्व का नौवां देश बन गया है। इसका प्रारंभ गृह मंत्रालय (MHA) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) के साथ संयुक्त रूप से किया है।

NDSO की विशेषताएं

- **विभिन्न यौन संबंधी अपराधों के लगभग 4.5 लाख लोगों का विवरण शामिल हैं:** इसमें 2005 के पश्चात के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offenders Act-POCSO) और छेड़खानी इत्यादि मामलों के दोषी अपराधियों के नाम एवं उपनाम, पता, फोटो, पहचान पत्र जैसे- PAN कार्ड एवं आधार, आपराधिक इतिहास, फिंगर-प्रिंट एवं हथेली की छाप सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा अधिकृत किया जाएगा:** यह राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड के नियमित अद्यतनीकरण को भी ट्रैक करेगा।
- **केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंच योग्य:** इसका उपयोग यौन अपराधों एवं कर्मचारी सत्यापन संबंधी मामलों की जांच और पर्यवेक्षण हेतु किया जायेगा।
- **किसी भी व्यक्ति की निजता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा:** इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का विवरण होगा और राज्य कारागारों द्वारा सजा के विरुद्ध की गई अपीलों का अद्यतनीकरण किया जाएगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को तब तक ट्रैक किया जा सकेगा जब तक उसे अंतिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
- यह कारागार से **मुक्त होकर किसी अन्य पर स्थानांतरित होने वाले अभियुक्तों को भी ट्रैक** करने में सहायता करेगा।

ऑनलाइन पोर्टल- cybercrime.gov.in के बारे में

- सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री और यौन संबंधी अन्य सामग्री जैसे की बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने हेतु एक अन्य ऑनलाइन पोर्टल **cybercrime.gov.in** का शुभारंभ किया गया है।

1.3. व्यभिचार

(Adultery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा सर्वसम्मति से व्यभिचार को दंडनीय अपराध के रूप में घोषित करने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को समाप्त कर दिया गया है।

न्यायालय का पक्ष:

- SC ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक था और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) एवं अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करता था। यह कानून महिलाओं की गरिमा को नष्ट करने के साथ ही महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था।
- **जब तक व्यभिचार, IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए प्रेरित करना)** से नहीं जुड़ता तब तक **इसे अपराध नहीं माना** जाएगा। यह विवाह की सम्पति/तलाक सहित अन्य सिविल मुद्दों के लिए आधार हो सकता है किन्तु यह दण्डनीय अपराध नहीं हो सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने **CrPC की धारा 198(1) और 198(2)** को भी असंवैधानिक घोषित किया है, जो किसी पति को उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति देता है जिसके साथ उसकी पत्नी ने व्यभिचार का कृत्य किया है।

1.4. भारतीय दंड संहिता की धारा 498A

(Section 498A of IPC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A में तत्काल गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान को पुनः स्थापित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायालय ने विगत वर्ष यह निर्णय दिया कि जिलों में '**परिवार कल्याण समितियों** को स्थापित किया जाए तथा इन समितियों द्वारा **धारा 498-A के तहत** दहेज उत्पीड़न विरोधी प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में **अग्रणी भूमिका का निर्वहन** करना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में निर्दिष्ट किया है कि इस प्रकार के पैनल का स्थापित आपराधिक प्रक्रियात्मक विधि के अधीन कोई स्थान नहीं है साथ ही ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता से परे थे।

IPC की धारा 498A

- इसमें कहा गया है - कोई भी व्यक्ति, जो किसी महिला के पति या उसके पति का रिश्तेदार होने के नाते, यदि महिला के साथ क्रूरता करता है तो वह एक अवधि (जिसे तीन वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है) के लिए कारावास एवं जुर्माना का पात्र होगा।
- यह एक **गैर-जमानती** अपराध है।

1.5. पितृत्व अवकाश

(Paternity Leave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पुरुष कर्मी, जो आश्रित बच्चों के लिए एकल अभिभावक (सिंगल पैरेंट्स) हैं, अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कुल 730 दिनों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) का लाभ उठा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभी तक ऐसा प्रावधान **केवल महिला कर्मियों के लिए ही लागू था।**

इस संबंध में अन्य जानकारी

- **बाल्य देखभाल अवकाश** (Child Care Leave: CCL) की शुरुआत छठे वेतन आयोग द्वारा की गयी थी।
- **सातवें वेतन आयोग** की अनुशंसा के पश्चात् वर्तमान कदम को उठाया गया है। किसी एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को **"अविवाहित या विधुर अथवा तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी"** के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में पितृत्व अवकाश

- **सरकारी क्षेत्र में:** केंद्र सरकार ने 1999 में **केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 551 (A)** के तहत जारी अधिसूचना में पितृत्व अवकाश हेतु प्रावधान किए -
  - केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारी के लिए (प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन सहित);
  - दो या दो से कम जीवित बच्चों के लिए; और
  - अपनी पत्नी और नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 15 दिनों का अवकाश।
- **निजी क्षेत्र में:** ऐसा कोई कानून नहीं है जो निजी क्षेत्रों के लिए अपने कर्मचारियों को अनिवार्य पितृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसलिए, पितृत्व अवकाश के संबंध में अलग-अलग कंपनियों के अपने पृथक नियम हैं। कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जैसे- माइक्रोसॉफ्ट (12 सप्ताह), इंफोसिस (5 दिन), फेसबुक (17 सप्ताह), TCS (15 दिन) ने पहले ही अपनी नीतियों के माध्यम से कदम उठाए हैं।

VISION IAS

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

- यह अधिनियम बच्चे की देखभाल करने के लिए **26 सप्ताह (पहले 12 सप्ताह)** के पूर्ण वैतनिक अवकाश का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम **10 या 10 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों** पर लागू होता है।
- पिछले **12 महीनों में कम से कम 80 दिनों की अवधि** के लिए किसी स्थापित निकाय में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत एक महिला, मातृत्व लाभ के लिए पात्र है।
- महिलाओं को **2 बच्चों के जन्म के पश्चात,** अन्य बच्चे के जन्म पर, 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
- "कमीशनिंग माताओं" के साथ-साथ **तीन माह से कम आयु** के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को गोद लेने की तिथि से **12 सप्ताह** का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
- यह अधिनियम नियोक्ताओं के लिए यह **अनिवार्य** बनाता है कि वे नियुक्ति के समय, महिलाओं को उपलब्ध **मातृत्व लाभ के संबंध में उन्हें शिक्षित** करें।
- जिस किसी भी प्रतिष्ठान में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ क्रेच की सुविधा होगी।

1.6. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम,2012

[The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि POCSO अधिनियम के तहत लंबित मामलों की निगरानी के लिए न्यायाधीशों की समितियों का गठन किया जाए तथा सुनवाई हेतु विशेष बाल अनुकूल न्यायालय स्थापित किए जाए।

POCSO अधिनियम से संबंधित तथ्य

- यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को **बच्चे के रूप में परिभाषित करता है** और प्रत्येक स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित एवं कल्याण को सर्वोपरि मानता है, ताकि बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
- यह यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर-भेदक दुराचार के साथ यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी सम्मिलित हैं, एवं कुछ परिस्थितियों में यौन उत्पीड़न को "गंभीर" माना जाता है, जैसे उत्पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या जब उत्पीड़न किसी विश्वास या अधिकार प्राप्त व्यक्ति जैसे बच्चे,परिवार के एक सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या चिकित्सक द्वारा किया जाता है।
- इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट करना भी अनिवार्य बनाया गया है। **यह अपराध के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करना कानूनी कर्तव्य बनाता है।** यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति को छह महीने के कारावास या जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकता है।
- प्रत्येक जिला **एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगा**। इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। न्यायालय, द्वारा जहां तक संभव हो, **एक वर्ष के भीतर मामले की सुनवाई** को पूरा किया जायेगा। **मामले की सुनवाई, कैमरे के साथ** बच्चे के माता-पिता या बच्चे के किसी विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी ।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को** अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है।
- इसके अंतर्गत शिकायत के दर्ज होने के साथ ही बच्चे को राहत एवं पुनर्वास भी प्रदान किया जाता है। बच्चे को दीर्घावधिक पुनर्वास हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को मामले की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

VISION IAS

- हाल ही में सरकार ने लोकसभा में POCSO अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किया है, जो बच्चों के साथ **आक्रामक यौन अपराध के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है, साथ ही इसे लैंगिक रूप से तटस्थ बनाते हुए** तथा बाल पोर्नोग्राफी के विरुद्ध प्रावधानों के साथ कुछ अपराधों के लिए सजा में वृद्धि करने का प्रावधान भी करता है।

संबंधित तथ्य

POCSO ई-बॉक्स

- यह **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** की पहल है जो बच्चों से संबंधित इस प्रकार के अपराधों को सीधे आयोग में दर्ज करने में सहायता करता है।
- ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, POCSO अधिनियम, 2012 के तहत अपराधियों के विरुद्ध रिपोर्टिंग और समय पर कार्रवाई करने में आसानी से सक्षम बनाता है।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस **सांविधिक निकाय** की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई है।
- यह 2007 में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के नियंत्रण में गठित किया गया है।
- इसमें एक अध्यक्ष तथा छह अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं (जिनमें, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा आदि का अनुभव रखने वाली कम से कम दो महिलाएँ होती हैं)।

1.7. बाल संरक्षण नीति का मसौदा

(Draft Child Protection Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)** द्वारा बाल संरक्षण नीति का मसौदा जारी किया गया।

मसौदा नीति के प्रमुख बिंदु:

- यह **बाल संरक्षण के लिए** समर्पित **पहली नीति** है, जो अब तक केवल व्यापक राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 का ही एक भाग थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और उपेक्षा की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

राष्ट्रीय बाल नीति- 2013

- इस नीति में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बालक माना गया है।
- इसमें यह स्वीकार किया गया है कि बच्चे एक समांगी समूह नहीं होते हैं और उन्हें विभिन्न प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य बच्चों के पालन-पोषण हेतु परिवार को समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के पास सार्वभौमिक, अपरिहार्य और अविभाज्य मानव अधिकार होते हैं।
- इसके चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
  - **उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण;**
  - **शिक्षा एवं विकास;**
  - **बाल संरक्षण; और**
  - **बाल भागीदारी।**
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NPAC), 2016 अपनी प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई योग्य रणनीतियों से 2013 की इस नीति को जोड़ती हैं।

VISION IAS

सम्बंधित तथ्य :

समेकित बाल संरक्षण योजना:

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के समग्र विकास हेतु विगत योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में **अंतराल को समाप्त** करने तथा सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश प्रदान करना है।
- इसके तहत बच्चों के (शहरी और अर्द्ध -शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों सहित) देखभाल एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **'ओपन शेल्टर्स' (खुले आश्रय गृह) खोलने** तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, ब्रिज एजुकेशन तक पहुंच आदि गतिविधियों हेतु उचित प्रावधान करना सम्मिलित है।
- इसके अंतर्गत बच्चों के अभावग्रस्तता को रोकने के लिए राज्य के उत्तरदायित्व में प्रत्येक जिले में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा **जिला बाल संरक्षण समितियों (DCPS) के गठन** का प्रावधान है।
- यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यो/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।

1.8 गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

(PCPNDT ACT 1994)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ज्ञात होता है कि देश में सर्वाधिक लिंग निर्धारण परीक्षण हरियाणा में होते है।

अधिनियम से संबंधित तथ्य

- गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994, को लागू करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
  - गर्भाधान के पूर्व या पश्चात लिंग चयन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध
  - लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना
  - ऐसी तकनीकों को विनियमित करना
- इस कानून के अंतर्गत, जिन सभी केंद्रों के पास गर्भाधान पूर्व या प्रसव-पूर्व संभावित रूप से भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने वाला कोई भी उपकरण है, तो उन्हें समुचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- यह लिंग का पता लगाने या निर्धारित करने के लिए ऐसी तकनीकों के संबंध में विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है।
- यह अधिनियम और नियम उचित रिकॉर्ड के रखरखाव और संरक्षण संबंधी व्यापक कार्यवाही की व्यवस्था करता है।
- परिसर को सील करना और साक्षियों को प्रवर्तन में लाने सहित विधि के उल्लंघनकर्ताओं की मशीनों, उपकरणों और अभिलेखों की तलाशी, जब्ती और सील करने के संबंध में समुचित प्राधिकारियों को **सिविल न्यायालय** की **शक्तियां** प्राप्त हैं।
- 2003 में लिंग चयन में सक्षम प्रौद्योगिकी के विनियमन में सुधार हेतु इसमें संशोधन किया गया था।

संबंधित तथ्य

- आयरलैंड ने एक जनमत संग्रह के बाद गर्भपात को वैध बनाने हेतु एक विधेयक **(जिसे सविता कानून** कहा जाता है) पारित किया।

1.9. भारत में दत्तक ग्रहण (Adoption in India)

सुर्खियों में क्यों?

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 न्यायालय के बजाय जिला न्यायाधीश को दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, ताकि दत्तक ग्रहण के मामलों में प्रक्रियागत तीव्रता सुनिश्चित की जा सके।

VISION IAS

भारत में दत्तक ग्रहण संबंधी नियम:

- **किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015** के अंतर्गत अनाथ, परित्यक्त और समर्पित (अभ्यर्पित) (OAS) बच्चों को गोद लेने और रिश्तेदारों द्वारा बच्चों को गोद लेने के प्रावधान भी किए गए हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के दत्तक ग्रहण **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा निर्मित दत्तक ग्रहण विनियमों और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किये जाने चाहिए।
- यह अधिनियम दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक संस्थानों या संगठनों को एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (SAA) के रूप में मान्यता देने हेतु अधिदेशित करता है।

2017 में अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियम

- देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक प्रक्रियाओं (रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने सहित) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- CARA द्वारा JJ अधिनियम, 2015 के तहत सभी दत्तक ग्रहण के रिपोर्ट और सुविधा **बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)** के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- सुरक्षा उपायों के लिए, CARA गोद लिए गए बच्चों का रिकॉर्ड रखेगा और गोद लेने के बाद भी उनकी जांच सुनिश्चित करेगा।
- वर्तमान में सौतेले माता-पिता का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, **केवल जैविक माता-पिता या दत्तक माता-पिता को मान्यता प्रदान की जाती है।** यह विनियमन:
  - **सौतेले माता-पिता को विधिक रूप से परिभाषित करता है।**
  - गोद लिए गए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर उनका नाम लिखे जाने की अनुमति प्रदान करता है।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)** पेशेवर रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक पैनल को संधारित करेगी।

भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए पात्रता मानदंड

- भावी दत्तक माता-पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ़, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उनकी जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सकीय दशा नहीं होनी चाहिए।
- कोई भी भावी दत्तक माता-पिता, उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो अथवा नहीं हो, निम्नलिखित के अध्यधीन बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता है:
  - विवाहित दंपत्ति की दशा में, दत्तक ग्रहण पति-पत्नी दोनों की सम्मति आवश्यक होगी।
  - **एकल स्त्री** किसी भी लिंग के बालक के दत्तक ग्रहण कर सकती है।
  - **एकल पुरुष** किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है।
- किसी भी बालक को एक दंपत्ति को तब तक दत्तक ग्रहण में नहीं दिया जायेगा जब तक कि उन्होंने **स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष** पूरे न कर लिए हों।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय (JJ अधिनियम के तहत) है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु **नोडल निकाय** के रूप में कार्य करता है तथा गोद लेने की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए इसे देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की निगरानी और विनियम का अधिदेश प्राप्त है।
- CARA को 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित **अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन (1993) के** प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर कार्रवाई करने के लिए **केंद्रीय प्राधिकरण** के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

VISION IAS

- CARA मुख्यतः अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों की दत्तक ग्रहण संबंधी कार्रवाई अपने सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से करता है।

बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)

- यह बच्चा गोद लेने की सुविधा हेतु एक ई-गवर्नेंस साधन है।
- यह गोद लेने वाले बच्चों और PAPs का एक केंद्रीकृत डेटा बैंक है।

संबंधित तथ्य

हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय

- 1993 का हेग कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड को-ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ़ इंटरकाउंटरी एडॉप्शन (हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय) बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध, अनियमित, अपरिपक्वया बिना पूर्ण तैयारी के दत्तक ग्रहण के जोखिमों से संरक्षण प्रदान करता है।
- यह सम्मेलन राष्ट्रीय केंद्रीय प्राधिकरणों की एक प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है और बच्चों के सर्वोत्तम हित को बनाए रखने के लिए बाल (अनुच्छेद 21) अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को सुदृढ़ बनाता है।
- यह बच्चों के अपहरण, व्यापार या तस्करी को रोकने का प्रयास भी करता है।

1.10.बाल विवाह का विनियमन

(Regulating Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों

केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि देश में सभी भावी बाल विवाहो को आरंभ से ही अमान्य बनाया जा सके। वर्तमान में, बाल विवाह मान्य हैं, परन्तु इसे अनुरोध किए जाने पर अमान्य किया जा सकता है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- यह **बालक, बाल-विवाह, अवयस्क आदि को परिभाषित करता है** तथा प्रत्येक बाल-विवाह जो चाहे इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, उसके विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।
- जिला न्यायालय के पास यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात् भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी।
- यह अधिनियम अवयस्क से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष अथवा इस प्रकार के विवाह को बढ़ावा या स्वीकार करने वाले व्यक्ति के लिए **दंड का प्रावधान करता** है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध **संज्ञेय और गैर-जमानती** होगा।
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के एक भाग के लिए नियुक्त अधिकारी अथवा अधिकारियों को **बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में** जाना जाएगा, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं।
- बाल वधू को सुरक्षा प्रदान करने वाले अन्य कानूनों में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण. अधिनियम, 2012 शामिल हैं।

VISION IAS

1.11. महिला सुरक्षा संबंधी नया प्रभाग

(New Division for Women Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दे से व्यापकता से निपटने हेतु एक नए प्रभाग का सृजन किया गया है यह प्रभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से महिला सुरक्षा के सभी पहलुओं से निपटेगा।

प्रभाग के संबंध में

- **यह नया प्रभाग निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का भी निपटान करेगा**
  - अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विरुद्ध अपराध
  - बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध
  - तस्करी रोधी प्रकोष्ठ
- **निम्नलिखित से संबंधित मामले**
  - जेल कानून और जेल सुधार
  - **निर्भया कोष** के अंतर्गत सभी योजनाएं
  - अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली (CCTNS)
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
- इसके अतिरिक्त विद्यमान प्रशासनिक, जाँच संबंधी, अभियोजन एवं न्यायिक प्रणाली की **क्षमता संवर्द्धन के साथ-साथ** पीड़ितों के पुनर्वास के लिए **उपयुक्त उपाय** तथा समाज में अभिवृति संबंधी परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

निर्भया कोष

- यह देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई पहलों के क्रियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा 2013 में गठित एक समर्पित कोष है।
- यह एक गैर-व्यपगत कोष है।
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**, निर्भया कोष के तहत योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा मंत्रालयों/विभागों के संयोजन में कार्यान्वन हेतु स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करने हेतु नोडल मंत्रालय है।
- निर्भया के तहत **केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष** का सृजन किया गया है, जो राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी पीड़ित मुआवजा योजना में सहायता करने हेतु एक कोष है। यह अपराध एवं हिंसा से ग्रसित महिलाओं के लिए पर्याप्त एवं समय पर सहायता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

1.12. निर्भया फंड के तहत हालिया पहलें

(Recent Initiatives Under Nirbhaya Fund)

1.12.1. वन स्टॉप सेंटर्स

(One Stop Centres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर्स के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है।

VISION IAS

वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना

- यह **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन** के तहत एक उप-योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसका लक्ष्य निजी एवं सार्वजनिक स्थलों, परिवार व समुदायों तथा कार्यस्थलों पर **हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं** को सहायता प्रदान करना है।
- OSCs की स्थापना **निर्भया कोष का एक प्रमुख घटक था।** प्रत्येक OSC को हाल ही में प्रारंभ **महिला हेल्पलाइन (181)** से एकीकृत किया गया है।

OSC द्वारा प्रदत्त सेवाएं

- आपातकालीन अनुक्रिया तथा बचाव सेवाएं,
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को **चिकित्सा सहायता,**
- सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सहयोग/परामर्श प्रदान करने हेतु **कुशल परामर्शदाता की उपस्थिति,**
- **प्राथमिकी (FIR) दर्ज** कराने में महिलाओं की सहायता करना,
- पीड़ित महिलाओं के लिए **अस्थायी आश्रय,**
- **विधिक सहायता** एवं परामर्श,
- त्वरित एवं बाधा रहित पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं की सुविधा हेतु **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** आदि।

अन्य संबंधित सूचना

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (National Mission for Empowerment of Women)

- यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण के साथ-साथ महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा।
- इस प्रयास में, मिशन द्वारा यथा संभव प्रतिभागी मंत्रालयों की मौजूदा संरचनात्मक व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) का भी उपयोग किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर** पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण (NMA) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य मिशन को नीतिगत निर्देश प्रदान करना तथा मंत्रालयों के मध्य अभिसरण को सुगम करना है।

1.12.2. सुरक्षित शहर परियोजना

(Safe City Project)

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया फण्ड योजना के तहत कुल 194.44 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ हेतु एक सुरक्षित शहर परियोजना (सेफ सिटी प्रोजेक्ट) को मंजूरी दी है।
- यह अनुमोदन 8 चयनित शहरों नामतः मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा लखनऊ में निर्भया फंड के तहत सुरक्षित शहर परियोजना (सेफ सिटी प्रोजेक्ट) को क्रियान्वित करने हेतु गृह मंत्रालय की योजनाओं का एक भाग है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।
- परियोजना का क्रियान्वयन **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नागरिक समाज संगठनों के अतिरिक्त संबंधित शहरों की नगरपालिकाओं और पुलिस आयुक्त कार्यालयों** के सहयोग से किया जाएगा।

VISION IAS

1.12.3. महिला पुलिस वालंटियर

(Mahila Police Volunteer:MPV)

- गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस वालंटियर (MPV) को नियुक्त करने की योजना निर्मित की गई है जो पुलिस और समुदाय के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगी तथा संकट की स्थिति में महिलाओं की सहायता करेंगी।
- हरियाणा इस पहल को अपनाने वाला प्रथम राज्य है।
- महिला पुलिस वालंटियर संबंधी पहल को लागू करने के लिए, राज्यों को निर्भया कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

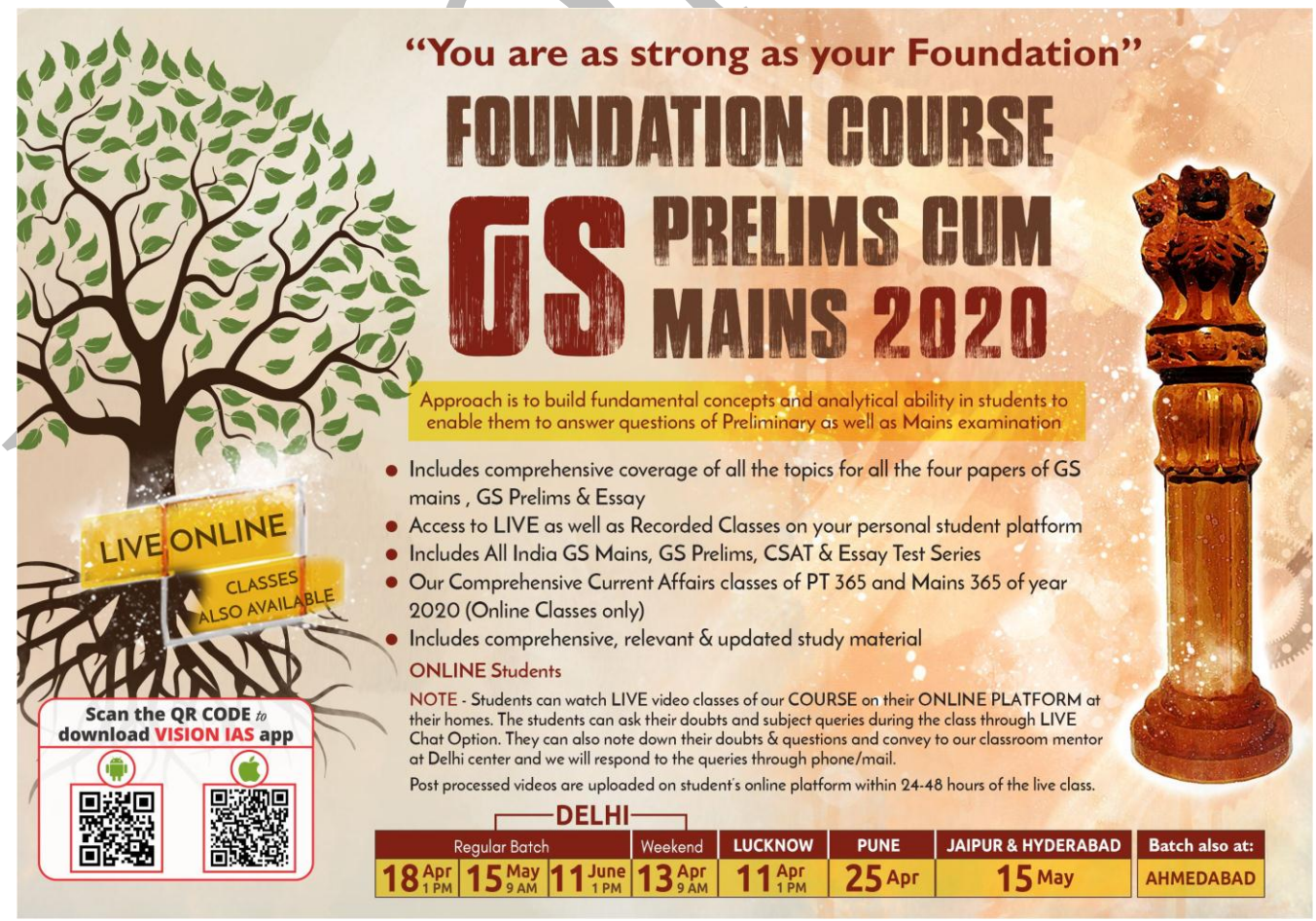

2. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections)

2.1. ट्रांसजेंडर से संबंधित अध्ययन

(Study on Transgenders)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारतीय मानवधिकार आयोग (NHRC) द्वारा भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर की स्थितियों का अध्ययन किया गया :

अध्ययन से सम्बन्धित तथ्य

- 2011 की जनगणना के अनुसार **ट्रांसजेंडरों की कुल आबादी 4.8 लाख** है। हालाँकि विभिन्न अन्य अनुमानों से पता चलता है कि भारत में 50 से 60 लाख ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर भेदभाव से बचने के लिए अपनी पहचान गुप्त रखते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर की स्थिति में सुधार हेतु किए गए प्रयास

- **भारतीय संघ बनाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2014 में, ट्रांसजेंडर लोगों की उपस्थिति को वैध माना है, और विधिक रूप में एक **"तीसरे लिंग (third gender)"** श्रेणी के निर्माण का निर्देश दिया गया है।
- इस फैसले में शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अब ट्रांसजेंडर की पहचान सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में की जा सकती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016:ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित और इनके विरुद्ध **भेदभाव को प्रतिबंधित** करता है।

- किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने के लिए बाध्य करना, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से प्रतिबंधित करना, शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार, इत्यादि कृत्यों के लिए दो वर्ष के कारावास और जुर्माने का उपबंध करता है।
- यह केंद्र सरकार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद** के गठन का निर्देश देता है।

राज्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:

- ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण प्रयासों के रूप में, **तमिलनाडु सरकार** ने 2008 में एक **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** की स्थापना की (पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने भी इस बोर्ड की स्थापना की है)।
- **केरल की सरकार** ने "गरिमामय जीवन का अधिकार" प्रदान करने के लिए **'स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर इन केरल 2015"** का निर्माण किया है। ट्रांसजेंडर नीति को क्रियान्वित करने वाला यह प्रथम राज्य है।
- ट्रांसजेंडर लोगों को **सामाजिक कल्याण लाभ** प्रदान करने वाला ओडिशा प्रथम राज्य है।

अन्य संबंधित तथ्य

योग्यकार्ता सिद्धांत (Yogyakarta principles)

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार यौन अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) और लैंगिक पहचान के मुद्दों के संबंध में **अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग** से संबंधित योग्यकार्ता सिद्धांत को राष्ट्रीय कानून के रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- इन सिद्धांतों को नवंबर 2006 में इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मानवाधिकार समूहों की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के परिणामस्वरुप प्रकाशित किया गया था।

VISION IAS

2.2. मैला ढोने की प्रथा

(Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली में पांच मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) की हालिया मृत्यु की घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है।

मैला ढोने की प्रथा पर संबंधित संवैधानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

- **स्वच्छता राज्य सूची का विषय है**
- भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अस्पृश्यता को समाप्त करता है **(अनुच्छेद 17)** और जाति आधारित भेदभाव का निषेध करता है **(अनुच्छेद 15)**।
- संविधान के अंतर्गत मानव गरिमा एक अपरिहार्य अधिकार है जो **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन के मूल अधिकार का भाग है।
- यह एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अधिकार है, जो **अनुच्छेद 1, 22 और 23** के माध्यम से **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** द्वारा समर्थित है।

मैला ढोने की प्रथा पर वर्तमान कानून

- संसद द्वारा **'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'** को अधिनियमित किया गया है।
- इसके अंतर्गत
  - अस्वच्छ शौचालय को **समाप्त** करना।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स, सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग के रूप में **रोजगार का निषेध**।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके **पुनर्वास** का सर्वेक्षण।
- इस प्रकार यह **अधिनियम शुष्क शौचालयों और मल-मूत्र की सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग** के साथ-साथ सुरक्षात्मक गियर के बिना गटर, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को भी प्रतिबंधित करता है।
- इस **अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत**, इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक कारावास या 2 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगा। किसी भी अतिरिक्त उल्लंघन के लिए, कारावास पांच वर्ष तक बढ़ाया सकता है और जुर्माना 5 लाख या दोनों हो सकता है।
- इस अधिनियम में चिह्नित किए गए मैनुअल सफाई कर्मचारियों के **पुनर्वास** के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी हैं-
  - प्रारंभ में एक बार नकद सहायता
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति
  - आवासीय भूखंड का आवंटन और निर्मित भवन , निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
  - कम से कम 3000 रुपये प्रति माह के भुगतान के साथ आजीविका कौशल में प्रशिक्षण
  - परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी हेतु प्रावधान।
- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है और यह **'मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना' (SRMS)** का कार्यान्वयन करता है।

सम्बन्धित तथ्य

- **बंदिकूट -** भारत का पहला 'मैनहोल सफाई रोबोट' एक एक्सोस्केलेटन रोबोट है जो मनुष्य के गड्ढे में प्रवेश करने की आवश्यकता के बिना मैनहोल को साफ करता है।

2.3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

(Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram: PMJVK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत संचालित **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** का पुनर्गठन कर इसे **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)** के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

VISION IAS

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)

- इसकी पहचान नीति आयोग के राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत **कोर ऑफ़ द कोर स्कीम्स** में से एक के रूप में की गयी है।
- इस कार्यक्रम को वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक बहुल जिलों (MCD) के रूप में चिन्हित 90 ऐसे जिलों में प्रारंभ किया गया था, जहाँ कम से कम 25% अल्पसंख्यक जनसंख्या निवास करती हो।
- इसे मुख्य रूप से चिन्हित पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानदंडों, दिशा-निर्देशों और वित्तीय प्रारूपों में परिवर्तन किये बिना विकास अंतरालों** को कम करने के लिए किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, विद्यालय भवन, छात्रावास, शौचालय, पॉलीटेक्निक्स, ITIs, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्रामीण आवास हेतु भवन की स्थापना इत्यादि परियोजनाओं पर विचार किया गया है।
- इसका उद्देश्य उन नवोन्मेषी परियोजनाओं को प्रारम्भ करना भी था, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों की किसी भी मौजूदा CSS द्वारा कवर नहीं किया गया था। इन परियोजनाओं का केंद्र और राज्यों के मध्य 60:40 के अनुपात (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10) में वित्त पोषण किया गया।

PMJVK या पुनर्गठित MsDP:

- इसमें अल्पसंख्यक बहुल कस्बों (MCTs) तथा गाँवों के संकुल (क्लस्टर) की **पहचान हेतु मानदंडों** को युक्तिसंगत बनाया गया हैं। ये 2011 की जनगणना पर आधारित हैं।
  - इससे पूर्व, केवल **आधारभूत आवश्यकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक मापदंडों** के संदर्भ में पिछड़े कस्बों को ही MCTs के रूप में चिन्हित किया जाता था। परन्तु अब वे कस्बे जो **किसी एक अथवा दोनों** मानदंडों में पिछड़े पाए जाते हैं, MCTs के अंतर्गत सम्मिलित किये गए हैं।
  - अब गाँवों के संकुल के चयन हेतु जनसंख्या मानदंड को कम कर अल्पसंख्यक समुदाय की **25% जनसंख्या तक कर** दिया गया है (जो पूर्व में न्यूनतम 50% था)।
- **योजना का वित्त-पोषण,** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। साथ ही आवधिक रूप से होने वाले व्यय/अनुरक्षण व्यय का वहन राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/संगठनों द्वारा किया जायेगा।
  - **80% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास** से संबंधित परियोजनाओं हेतु निश्चित किया गया है।
  - जिसमें से **33 से 40%** विशेष रूप से **महिला केन्द्रित परियोजनाओं** हेतु आबंटित किया जाएगा।
- PMJVK **में अब चार और राज्यों** हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड एवं गोवा तथा **एक संघ शासित प्रदेश** पुडुचेरी (कुल 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों) को शामिल किया गया है।
  - PMJVK के तहत **115 आकांक्षी जिलों** में से 61 जिलों के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।
  - अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, कस्बों तथा गाँवों के संकुल के अतिरिक्त **अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों** को शामिल करते हुए क्रियान्वयन की क्षेत्रीय इकाई का और अधिक विस्तार किया गया है।
  - PMJVK के तहत मौजूदा MsDP (196 जिले) क्षेत्रों की तुलना में **57% अधिक क्षेत्र (308 जिले)** कवर किए गए हैं।

निगरानी तन्त्र:

- **जियो-टैगिंग** के साथ एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी शामिल किया गया है।
- सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Finance Management System:PFMS)** के अंतर्गत लाया गया है और PMJVK में निधि उपयोग की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं।

VISION IAS

आकांक्षी ज़िलों का कायाकल्प/परिवर्तन (Transformation of Aspirational Districts)

- इसका लक्ष्य 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में से कम-से-कम एक ज़िले का चयन करते हुए 115 जिलों का त्वरित एवं प्रभावी कायाकल्प करना है।
- इस कार्यक्रम की व्यापक रुपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: **समन्वय** (केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं का), **सहयोग** (केंद्रीय, राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारी और जिला कलेक्टरों के मध्य) और **प्रतिस्पर्धा** (विभिन्न ज़िलों के मध्य जन भागीदारी द्वारा संचालित)।
- इस **कार्यक्रम में मुख्य संचालक राज्यों को बनाया गया है**, जबकि इस कार्यक्रम को नीति आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिलों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला विशिष्ट **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI)** का चयन किया जाएगा।
- पुनः, जिलों की प्रगति की निगरानी हेतु निम्नलिखित 5 क्षेत्र पहचाने गए हैं- स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, बुनियादी अवसंरचना एवं वित्तीय समावेशन और कौशल विकास।
- इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त/संयुक्त सचिव के स्तर पर **"प्रभारी"** और नोडल अधिकारियों के रूप में केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी केंद्र, राज्य और जिले के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करेंगे।

2.4. 2021 की जनगणना में OBC संबंधित आंकड़ों का संग्रहण

(Census 2021 To collect OBC Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2021 में होने वाली जनगणना में **पहली बार** अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा।

भारत की जनगणना के विषय में

- दस-वर्षों में एक बार होने वाली जनगणना के संचालन का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय के अंतर्गत **महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत** का है।
- जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ जनगणना के संचालन की योजना की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1948 में **जनगणना अधिनियम** अधिनियमित किया गया था।
- प्रथम जनगणना का संचालन **वर्ष 1872 में किया गया था।**
- वर्ष 2011 की जनगणना ने **29 श्रेणियों** में सूचनाओं का संग्रहण किया था जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक कॉलम का समावेश किया गया था।

2.5. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018

[The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में लोकसभा ने व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित किया गया है।

व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 की मुख्य विशेषताएं:

- **राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो (NATB)** की स्थापना की जाएगी जिससे तस्करी के मामलों में समन्वय, निगरानी और अनुवीक्षण किया सके। यह अंतर-राज्यीय अपराधों से निपटने में सहायक होगा।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर **तस्करी विरोधी सहायता और पुनर्वास समिति** की स्थापना की जाएगी।
- **तस्करी विरोधी इकाइयाँ (ATU):** ATU तस्करी सम्बन्धी अपराधों की जांच एवं अभियोजन के साथ-साथ इन अपराधों से संबंधित पीड़ितों और गवाहों की निरुद्धता, बचाव और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों को देखेंगी। वैसे जिलों में जहां ATU कार्यरत नहीं है वहाँ यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा निभाई जाएगी।

VISION IAS

- **संरक्षण और पुनर्वास:** केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा संरक्षण गृह स्थापित करने की आवश्यकता है। ये संरक्षण गृह पीड़ितों को आश्रय, भोजन, परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।
- प्रत्येक जिले में **नामनिर्दिष्ट न्यायालयों (डेज़िग्नेटेड कोर्ट)** की स्थापना की जाएगी जिन्हें **निर्धारित समयावधि में (एक वर्ष के अंदर)** अपना निर्णय देना होगा। विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की भी बात कही गई है।

मानव तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम, 2000 की अभिपुष्टि की है। साथ ही इसने मानव दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और ट्रैफिकिंग इन पर्सन के संबंध में इसके प्रोटोकॉल की भी अभिपुष्टि की है।
- **देश में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को लागू किया गया है**। इसके साथ ही IPC की धारा 370 और 370A मानव तस्करी; किसी भी रूप में शारीरिक शोषण हेतु बच्चों की तस्करी; या यौन शोषण, दासता, जबरन दासता या अंगों की तस्करी आदि मामलों के लिए पहले से ही कठोर दंड का प्रावधान करती है।
- तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी के पीड़ितों के एकीकरण और पुनर्वास के लिए **उज्जवला योजना**।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे कई अन्य कानून और प्रावधान हैं जो लोगों को शोषण से बचाने में मदद करते हैं, जैसे-
  - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 23 (1)** मानव तस्करी और बलात श्रम को प्रतिबंधित करता है,
  - **वाणिज्यिक यौन शोषण** हेतु मानव **तस्करी** से बचने के लिए **अनैतिक** व्यापार (निवारण) **अधिनियम**,1956।
  - बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976,
  - बच्चो को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम, 2012.

सम्बंधित तथ्य :

- हाल ही में UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा **'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2018'** जारी की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व भर में महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक दुर्व्यापार का शिकार होती** हैं: उनमें से लगभग तीन-चौथाई यौन शोषण हेतु दुर्व्यापार की जाती हैं, और 35 प्रतिशत (महिलाओं और लड़कियों) का दुर्व्यापार **बलात श्रम** के लिए किया जाता है। **वर्तमान में कुल मानव दुर्व्यापार का 30 प्रतिशत हिस्सा बच्चों के दुर्व्यापार का है।**

UNODC के बारे में:

- इसे संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के मध्य विलय के द्वारा 1997 में स्थापित किया गया था।
- UNODC मुख्यतः सरकारों द्वारा किये गए स्वैच्छिक योगदान (इसके बजट का 90 प्रतिशत भाग) पर आश्रित है।
- इसने **यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम** (2003-04 में प्रभावी हुआ) का गठन किया, जिसने मानव दुर्व्यापार से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समर्थन प्रदान किया। 2011 में भारत द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गयी थी। इसके संबंधित दो प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं:
  - विशेषकर महिलाओं और बच्चों में **मानव दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल (United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons)**
  - **भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल (United Nations Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air)**
- इन प्रावधानों के प्रवर्तन को समर्थन प्रदान करने हेतु, UNODC ने 2007 में **मानव तस्करी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पहल (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking:UN-GIFT)** की स्थापना की थी।

VISION IAS

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948); नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966); यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द पर्सन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स (1949) और कन्वेंशन ऑन दि इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विमेन (1979) आदि अन्य अतिरिक्त प्रावधान हैं जो मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में शामिल हैं।

2.6. भारत में बंधुआ मज़दूरी (बलात श्रम) का प्रचलन

(Prevalence Of Bonded Labour in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिसंबर, 2018 के अंतिम सप्ताह में, कर्नाटक के एक अदरक फ़ार्म से मानव तस्करी के द्वारा लाए गए 52 मज़दूरों को मुक्त कराया गया।

बंधुआ मज़दूरी

ILO के बलात श्रम अभिसमय, 1930 के बाद से, बलात या बाध्यात्मक श्रम का अर्थ "दण्ड का भय दिखा कर किसी व्यक्ति से स्वेच्छा से तैयार या सहमत न होने पर भी श्रम करवाया जाना है"।

बंधुआ मज़दूरी के प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम तथा उपाय

- **संवैधानिक सुरक्षा:** भारतीय संविधान ने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा का वचन दिया है। उदाहरण के लिए, **अनुच्छेद 23** के अंतर्गत यह किसी भी प्रकार की बंधुआ मज़दूरी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान करता है।
- **क़ानूनी प्रावधानों** में बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (जो सम्पूर्ण देश में बंधुआ मज़दूरी के उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत है), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948), संविदा श्रम (नियंत्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बाल श्रम (निषेध तथा उन्मूलन) अधिनियम तथा IPC (धारा 370) आदि सम्मिलित हैं।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना, 2016

यह बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (1978) का परिष्कृत रूप है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- इसमें प्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न से बचाए गए लोगों को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- पुनर्वास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता **100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित** होती है।
- बंधुआ मज़दूरी का सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी इस योजना में की गयी है।
- पुनर्वास संबंधी सहायता राशि प्रदान किए जाने को आरोपी के दोषी सिद्ध होने के साथ जोड़ा गया है।
- इस योजना में प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर **बंधुआ मजदूर पुनर्वास निधि** के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। यह सहायता राशि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होती है।

सम्बंधित तथ्य :

- भारत **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य** है, जिसे 1919 में वर्साय की संधि के (इसी संधि के परिणाम स्वरुप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ) द्वारा स्थापित किया गया था।
- **कन्वेंशंस और अनुशंसाएं:** ILO कन्वेंशंस और अनुशंसाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है।
- इसके कन्वेंशन विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं जिन्हें सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किया जा सकता है जबकि इसकी अनुशंसाएं गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करती हैं।
- मौलिक कन्वेंशंस (Fundamental conventions): ILO की गवर्निंग बॉडी ने आठ कन्वेंशंस को "मौलिक" या कोर के रूप में मान्यता प्रदान की है। इन सिद्धांतों को ILO के *डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क*, 1998 में भी शामिल किया गया है।
- भारत ने **अब तक 8 कोर ILO कन्वेंशंस में से 6 की अभिपुष्टि** कर दी है।

VISION IAS

- भारत द्वारा अभिपुष्ट किये गए छह कोर ILO कन्वेंशंस निम्नलिखित हैं:
  - **फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन**
  - **एबॉलिशन ऑफ़ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन**
  - **इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन**
  - रोजगार और व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के मध्य भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित डिस्क्रिमिनेशन (एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन) कन्वेंशन।
  - **दि मिनिमम एज कन्वेंशन**
  - **दि वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन**
- दो कोर ILO कन्वेंशंस जिनकी भारत द्वारा अभिपुष्टि अभी की जानी है:
  - फ्रीडम ऑफ़ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ दि राइट टू ऑर्गेनाइज़ कन्वेंशन
  - राइट टू ऑर्गेनाइज़ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन

भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 189वें कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसे कन्वेंशन ऑन डॉमेस्टिक वर्कर्स के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन भारत द्वारा अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की गई है।

2.7. अखिल भारतीय पेंशन अदालत

(All India Pension Adalat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा **अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन** किया गया था।

पेंशन अदालतों के विषय में

पेंशन अदालतों का आयोजन पेंशनभोगियों की शिकायतों का विधिक फ्रेमवर्क के भीतर शीघ्र निवारण के उद्देश्य से किया गया है। इसके अंतर्गत असंतुष्ट पेंशनभोगियों, संबंधित विभाग, बैंक या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के प्रतिनिधियों एक साथ एक मंच पर लाया गया है।

पेंशनभोगियों के लिए अन्य पहलें

- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों हेतु शिकायत पोर्टल, जिसे **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS)** कहा जाता है।
- **भविष्य -** एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली।
- **संकल्प-** समाज में लाभदायक हस्तक्षेपों हेतु उपलब्ध अवसरों तक पहुंच प्रदान करने हेतु पेंशनभोगियों को एक मंच प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों को स्वयंसेवकों के उपलब्ध समूह से उपयुक्त कौशल और विशेषज्ञता का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- स्वयंसेवकों के उपलब्ध समूह से उपयुक्त कौशल और विशेषज्ञता के चयन हेतु इन क्षेत्रों में कार्यशील संगठनों को सुविधा प्रदान करता है।
- **अनुभव-** यह सरकार के साथ किए गए कार्य अनुभवों को साझा करने हेतु सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक मंच है। यह सुविधा सेवानिवृत्त लोगों को पूर्णता और संतुष्टि की भावना प्रदान करती है तथा लाभदायक सुझाव एवं सूचनाओं के एक डेटाबेस का निर्माण भी करती है।
- **जीवन प्रमाण:** यह **पेंशनभोगियों हेतु** एक बायोमीट्रिक (आधार) सक्षम **डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र** है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

2.8. राष्ट्रीय न्यास

(National Trust)

- हाल ही में, संसद ने **ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018** को पारित करने के साथ राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन किया।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

संशोधन:

- **बोर्ड का कार्यकाल:** अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष तक या अपने उत्तराधिकारी के विधिवत नियुक्त हो जाने तक, जो भी अधिक हो, पद धारण कर सकते हैं।
- विधेयक के तहत बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चित करने हेतु इस प्रावधान में संशोधन करता है।
- विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया उसके कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम छह माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी।
- **अध्यक्ष का त्यागपत्र:** अधिनियम में प्रावधानित किया गया है कि यदि बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देने की स्थिति में वे केंद्र सरकार द्वारा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
- विधेयक के तहत यह संशोधन करता है कि केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करने तक वे अपना पद धारण कर सकेंगे।

राष्ट्रीय न्यास के बारे में

- राष्ट्रीय न्यास भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है।
- विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - निःशक्त जनों को उनका जीवन स्वतंत्रतापूर्वक एवं पूर्ण रूप से यथासंभव उनके समुदाय के निकट व्यतीत करने हेतु सक्षम तथा सशक्त बनाना;
  - निःशक्त जनों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना।
  - आवश्यकता-आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु इसके पंजीकृत संगठनों को समर्थन प्रदान करना; और
  - निःशक्त जनों के लिए अभिभावकों एवं न्यासियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएँ विकसित करना।

2.9 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड

(Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड" के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, यदि स्थानीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि एक गिरोह या जनजाति "गैर-जमानती अपराधों में संलग्न" है, तो उन्हें **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में पंजीकृत किया जाता था।
- इसके बाद **आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA), 1924** प्रभाव में आया। इस अधिनियम के तहत, स्थानीय सरकार सुधार-गृह स्थापित कर सकती थी और आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता-पिता और अभिभावकों से अलग कर उन्हें इन सुधार गृहों में रखा जाता था।
- CTA के तहत **घुमंतू और विमुक्त जनजाति** दोनों को ही आपराधिक जनजातियां माना गया था। अधिकांश विमुक्त जनजातियां अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।
- **अनंथसायनम अय्यंगर समिति** (इसके द्वारा संपूर्ण भारत में CTA के संचालन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई) के बाद, इस अधिनियम को 1949 में निरस्त कर दिया गया और इसे **आदतन अपराधी अधिनियम,** 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

VISION IAS

- 2002 में, **न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग** द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (DNTs) के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की अनुशंसा की गई। साथ ही इसके द्वारा DNTs की आवश्यकताओं और शिकायतों के निवारण हेतु एक **विशेष आयोग** के गठन की भी अनुशंसा की गई।
- इसके परिणामस्वरूप, 2005 में इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने हेतु **बालकृष्ण सिडके रेनके** की अध्यक्षता में **एक राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन** किया गया था।
- 2015 में **भिकू रामजी इदाते** की अध्यक्षता में एक अन्य राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसने 2018 में **"विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति की आवाज"** नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **इदाते आयोग** की अनुशंसाओं के अनुरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्थायी विकास और कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध -घुमंतू समुदाय के लिए विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना है।
- विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (DNTs) द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों में सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाई, घटती जनसंख्या एवं जनगणना संबंधी आंकड़ों का अभाव, वृहद पैमाने पर बहिष्करण आदि सम्मिलित हैं।

2.10 अंडमान एवं निकोबार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

(Particularly Vulnerable Tribal Groups in Andaman and Nicobar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में **प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (Restricted Area Permit: RAP)** व्यवस्था को पुन: प्रवर्तित करने की योजना बना रही है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में सेंटिनल द्वीप की सेंटिनलीज जनजाति के लोगों ने एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी थी।

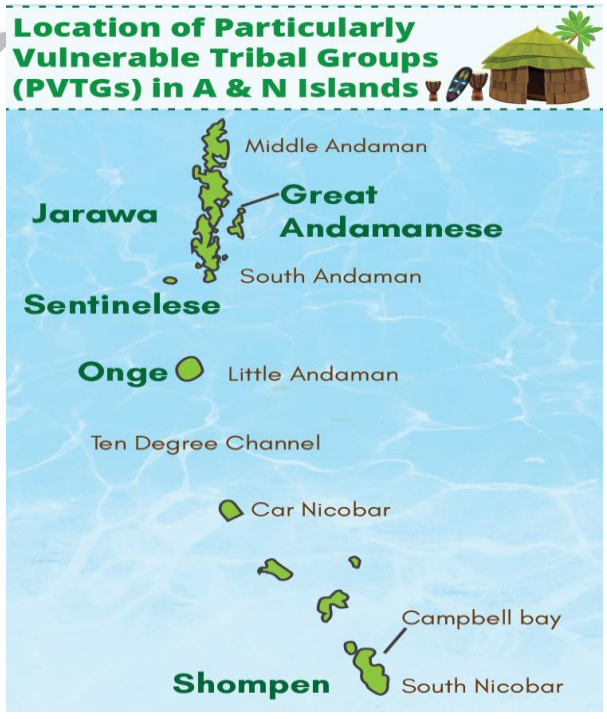

अन्य संबंधित तथ्य

- सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों को **संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र** घोषित किया गया है जहां कोई भी विदेशी नागरिक सक्षम प्राधिकारियों से परमिट (अनुमति) प्राप्त किए बिना प्रवेश या निवास नहीं कर सकता है।
- विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत सिक्किम के कुछ भागों और सम्पूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीप को **'प्रतिबंधित' क्षेत्र** घोषित किया गया है।
- विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत 'इनर लाइन' और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मध्य आने वाले सभी क्षेत्रों को **'संरक्षित क्षेत्र'** घोषित किया गया है।
- वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान तथा उत्तराखंड के कुछ भागों में अवस्थित हैं।
- नॉर्थ सेंटिनल द्वीप उन 29 द्वीपों में से एक है जिसके लिए सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने हेतु RAP नियमों को शिथिल किया था।

VISION IAS

अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप में **6 आदिवासी जनजातियाँ** निवास करती हैं जो **दो बड़े नृजातीय समूहों यथा नेग्रिटो और मंगोलॉयड** से संबंधित हैं। **निकोबारी (मंगोलॉयड)** जनजाति के अतिरिक्त शेष 5 जनजातियों को PVTGs के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस समूह में शामिल जनजातियाँ हैं - सेंटिनलीज (नेग्रिटो), ग्रेट अंडमानी (नेग्रिटो), ओंग (नेग्रिटो), जारवा (नेग्रिटो) तथा शोम्पेन (मंगोलॉयड)।
- **सेंटिनलीज:** यह अंडमान की एकमात्र जनजाति है जो अभी तक शेष विश्व से अपने को पृथक बनाए हुए है तथा **आखेटक-खाद्य संग्राहक** के रूप में जीवन-यापन कर रही है।
  - यह शारीरिक और भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा जनजाति से संबंधित है।
  - सेंटिनलीज जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं, दोनों ही वस्त्र नहीं पहनते हैं।
- **ग्रेट अंडमानी:** ग्रेट अंडमानी एक **सामूहिक पद है जो 10 विभिन्न जनजातियों हेतु प्रयुक्त** होता है। ये जनजातियाँ अंडमान के अधिकांश विशाल द्वीपों में निवास करती हैं।
  - यह अपने साहसिक इतिहास के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने धनुष-बाण के द्वारा अंग्रेजों से संघर्ष (एबरडीन का युद्ध) किया था, जो उनकी भूमि पर कब्जे का प्रयास कर रहे थे।
  - वर्तमान में अधिकांश जनजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं तथा उनकी **सांस्कृतिक और भाषाई पहचान अधिकांशत: समाप्त हो चुकी है** (उदाहरण के लिए, उनके सदस्य अब प्रायः हिंदी बोलते हैं)।
- **जारवा:** जारवा आखेटक और खाद्य संग्राहक घुमंतू जनजाति है तथा प्राय: बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता का भाव रखती है।
  - पुरुष धनुष-बाण का प्रयोग करके तथा महिलाएं टोकरियों के प्रयोग से तटीय जल क्षेत्रों में मछली पकड़ती हैं।
- **ओंग:** यह भी एक आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजाति है जो डूगोंग क्रीक तथा लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित साउथ बे में निवास करती है।
- **शोम्पेन:** शोम्पेन मुख्यतः आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजाति है और साथ ही कुछ मात्रा में बागवानी एवं सुअर पालन भी करती है।
- **निकोबारी जनजाति:** यह सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है तथा मुख्यतः बागवानी कृषि में संलग्न है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से संबंधित तथ्य

- वर्ष 1973 में, ढेबर आयोग ने एक पृथक श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूहों (PTG) का सृजन किया था, जो सभी जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं। बाद में इनका नाम परिवर्तित कर PVTG कर दिया गया।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने PVTG की पहचान के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव दिए हैं।
- PVTGs की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  - अधिकांशतः समरूप
  - कम जनसंख्या
  - अपेक्षाकृत भौतिक रूप से पृथक होना
  - आदिम सामाजिक संस्थाओं के रूप में होना
  - लिखित भाषा की अनुपस्थिति
  - सापेक्ष रूप से सरल प्रौद्योगिकी एवं परिवर्तन की धीमी दर का होना
  - आजीविका हेतु भोजन संग्रहण, गैर-काष्ठ वनोत्पाद, शिकार, पशुपालन, कृषि और हस्तशिल्प इत्यादि पर निर्भर होना।

PVTGs के संरक्षण हेतु प्रयास

- **ANTRI** (अंडमान और निकोबार जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना जनजातीय एकीकरण तथा PVTGs के संरक्षण के लिए नीतियों के निर्माण के उद्देश्य से की गई है।

VISION IAS

- **A&N (आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा) विनियमन, 1956** का उद्देश्य आदिवासी जनजातियों को संरक्षण प्रदान करना है, जिसके तहत उनके पारंपरिक क्षेत्रों को आरक्षित घोषित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- सेंटिनेलिस जनजातियों के संबंध में, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए **'आईज-ऑन एंड हैंड्स-ऑफ़'** (eyes-on and hands-off) नीति को अपनाया, ताकि कोई अवैध शिकारी द्वीप में प्रवेश न कर पाए।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा **"PVTGs का विकास" योजना** को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों में से 75 चिन्हित PVTGs को शामिल किया गया है।
- हाल ही में, यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी कर ओडिशा सरकार ने **"जीबन संपर्क"** को प्रारंभ किया है, ताकि राज्य के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास एवं कल्याणकारी पहलों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

2.11. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

(Eklavya Model Residential Schools)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने जनजातीय छात्रों के लिए स्थापित **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पुनरुद्धार** को स्वीकृति प्रदान की है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- भारत के **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान प्राप्त** करने वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में EMRS की स्थापना की जाती है।
- प्रत्येक EMRS का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अन्य संगठनों के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न प्रख्यात स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल होते हैं।

EMRS के उद्देश्य

- दूरस्थ क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना**।
- छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा सरकारी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाना।
- छात्र जीवन की शैक्षणिक, भौतिक, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली अवसंरचनाओं का निर्माण करना।

योजना का कवरेज

- मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, **कम से कम एक EMRS** को प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) में स्थापित किया जाना है, जिसमें 50% आबादी अनुसूचित जंजातियों (ST) की है।
- **बजट 2018-19 के अनुसार**, 50% से अधिक ST आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति

- **निम्न साक्षरता स्तर:** जनगणना 2011 के अनुसार, 73% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में ST आबादी की साक्षरता दर 59% ही है।
- **अंतर्राज्यीय असमानता:** सभी राज्यों में व्यापक स्तर पर अंतर्राज्यीय असमानता विद्यमान है, जैसे मिजोरम और लक्षद्वीप में ST आबादी की साक्षरता दर 91% से अधिक है जबकि आंध्र प्रदेश में यह 49.2% ही है। वास्तव में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में, ST आबादी की साक्षरता दर, सामान्य आबादी के समान ही है।
- **लैंगिक असमानता:** ST पुरुषों में साक्षरता दर 68.5% है, परंतु महिलाओं में यह अभी भी 50% से नीचे ही बनी हुई है।

आदिवासी समुदायों से संबंधित अन्य तथ्य

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आदिवासी जनसंख्या **104 मिलियन** से अधिक है, जिसमें 705 जनजातियाँ शामिल हैं और यह देश की **8.6%** जनसंख्या का गठन करते हैं।
- संख्यात्मक रूप से **मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या (15 मिलियन) निवास करती है**, इसके पश्चात महाराष्ट्र (10 मिलियन), ओडिशा और राजस्थान का स्थान है।
- अधिकांश जनजातीय लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **933**/1000 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में आदिवासियों में **लिंगानुपात 990**/1000 है।
- **आजीविका की स्थिति**- 20.5% गैर-जनजातीय लोगों की तुलना में 40.6% जनजातीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।

जनजातीय शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 46** के अनुसार राज्य,लोगों के कमजोर वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा एवं सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 29 (1)** विशिष्ट भाषा या लिपि या संस्कृति का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है।
- **अनुच्छेद 15 (4)** राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 275 (1)** संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूचियों के तहत राज्यों (अनुसूचित जनजातियों वाले) को अनुदान प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 350 (A)** के अनुसार राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

2.12. वन धन विकास केंद्र

(Van Dhan Vikas Kendras)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है।

वन धन योजना (वन धन विकास कार्यक्रम)

VISION IAS

- यह **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करके एवं मूल्य शृंखला के माध्यम से गौण वनोत्पाद (MFP) के विपणन तंत्र का एक घटक है।**
- यह एक पहल है जिसका लक्ष्य वन संपदा अर्थात वन धन का दोहन करके आदिवासियों के लिए आजीविका का सृजन करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं IT को समायोजित कर **जनजातीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का लाभ प्राप्त करना** है, ताकि प्रत्येक चरण में इसका उन्नयन कर इसे एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित किया जा सके।
- वन धन योजना के तहत, **TRIFED द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में MFP के नेतृत्व वाले बहु-उद्देश्यीय वन धन विकास केंद्रों** (10 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का एक संकुल है, जिसमें प्रत्येक समूह में 30 आदिवासी MFP संग्रहकर्ता सम्मिलित होंगे) की **स्थापना को सुविधाजनक बनाया जाएगा।**
- प्रत्येक केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध MFP तथा कौशल-आधारित हस्तकला के लिए खरीद-सह मूल्य संवर्द्धन हेतु **सामान्य सुविधा केंद्रों** के रूप में कार्य करेगा। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता TRIFED द्वारा प्रदान की जायेगी।
- यह योजना केन्द्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में **जनजातीय कार्य मंत्रालय** और राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में **ट्राइफेड** के माध्यम से लागू की जाएगी।
- राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु, MFP के लिए राज्य नोडल एजेंसी और जमीनी स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।
- स्थानीय स्तर पर केन्द्रों का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति (एक SHG) द्वारा किया जायेगा, जिसमें वन धन SHG के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- इसका उद्देश्य अन्य केंद्रीय / राज्य स्तर के विभागों / एजेंसी / संस्थानों की विभिन्न योजनाओं एवं **पहलों का समेकन** करना है।
- इसके अतिरिक्त, बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी मॉडल द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी तथा CSR निधियों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी।
- **छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पायलट आधार पर प्रथम बहु-उद्देशीय "वन धन विकास केंद्र" का संचालन किया जाएगा,** जिसके तहत कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

ट्राइफेड के बारे में

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) की स्थापना वर्ष 1987 में की गयी थी। यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** (भारत सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
- TRIFED का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय उत्पादों (जिन पर जनजातीय लोग अत्यधिक निर्भर होते हैं) के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

लघु वन-उपज (Minor Forest Produce: MFP)

- MFP, जिन्हें गैर-काष्ठीय वनोत्पाद (NTFP) के रूप में भी जाना जाता है, यह वन के भीतर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और इनके माध्यम से यह समुदाय पोषण, औषधीय आवश्यकताओं तथा नकद आय आदि की प्राप्ति करता है।
- **MFP योजना हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन-उपज के विपणन के लिए तंत्र** को MFP संग्रहकर्ताओं की आजीविका में सुधार के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में तैयार किया गया है, जिसके

VISION IAS

माध्यम से उन्हें एकत्रित किए गए MFP के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता हैं।

- इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए **जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय** होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंत्रालय द्वारा TRIFED द्वारा तकनीकी सहायता के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MFP खरीदने का उत्तरदायित्व राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के पास होगा।
- यह योजना **प्राथमिक मूल्य वर्द्धन** के साथ-साथ शीत भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज), वेयरहाउस इत्यादि जैसे आपूर्ति शृंखला अवसंरचना को भी सुदृढ़ करती है।
- यह योजना **सभी राज्यों में लागू की जाएगी**।

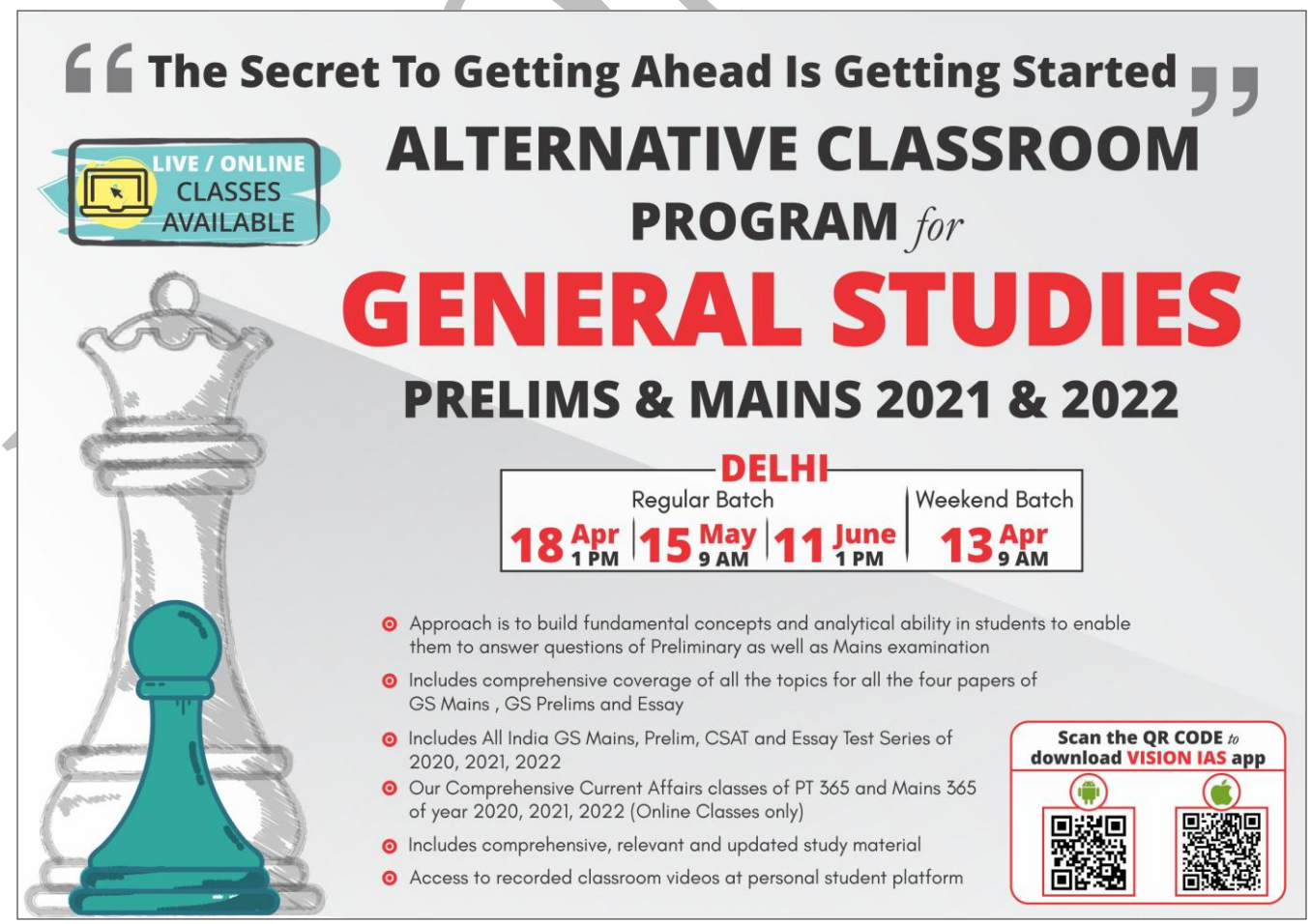

3. शिक्षा (Education)

3.1 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

(Primary & Secondary Education)

3.1.1. समग्र शिक्षा - एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम

(Samagra Shiksha - Integrated School Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों

सरकार ने समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना लांच की।

इस योजना के बारे में

- यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, इसमें **'स्कूल'** की परिकल्पना प्री-स्कूल, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक **निरंतरता** के रूप में की गई है।
- **इसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं –** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) तथा शिक्षक शिक्षा (TE) शामिल हैं।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान** और छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार;
  - स्कूली शिक्षा में **सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना** ;
  - स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
  - शिक्षा प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;
  - व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;
  - **बच्चों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता ;
  - शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERTs / राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट (DIET) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
- इसे केंद्र द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS) के माध्यम से **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लागू किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक **परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB)** होगा।
- विभाग को एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (EdCIL) के एक तकनीकी सहायता समूह (TSG) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
  - EdCIL, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक **मिनी रत्न (श्रेणी-1) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE) है।** यह भारत एवं विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।
- **राज्यों** से समग्र स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक **एकल योजना** लाने की उम्मीद है।
- योजना के लिए केंद्र और राज्यों के बीच **वित्त पोषण का अनुपात** 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा शेष अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 है। उन केंद्रशासित प्रदेशों में जहाँ विधानमंडल नहीं है, यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित है।

VISION IAS

- **योजना के तहत प्रस्तावित कुछ हस्तक्षेपों में शामिल हैं:**
  - अवसंरचना विकास तथा सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण;
  - लैंगिक समता, समावेशी शिक्षा एवं गुणवत्ता;
  - शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता;
  - डिजिटल पहल;
  - स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित RTE के तहत प्राप्त अन्य लाभ;
  - प्री-स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और खेल एवं शारीरिक शिक्षा;
  - शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना;
- योजना के तहत हस्तक्षेपों में, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, नक्सल प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों, सीमावर्ती इलाकों और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.2. RTE संशोधन विधेयक, 2019

(The RTE Amendment Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने स्कूलों में 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' (नो-डिटेन्शन' पॉलिसी) को निरस्त करने के लिए **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019** को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

विवरण

- **86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** के तहत राज्य को सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया है। **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (Right of Children to Free and Compulsory Education: RTE) अधिनियम, 2009** का उद्देश्य इस संशोधन को प्रभावी बनाना है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निकटस्थ विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-8) का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **RTE अधिनियम की धारा 30 (1)** में उल्लिखित है कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी छात्र को किसी भी कक्षा में रोका या अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा।
- हाल के वर्षों में, दो विशेषज्ञ समितियों- **गीता भुक्कल (2014) और टीएसआर सुब्रमण्यम (2016)** ने RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुत्तीर्ण न करने की नीति की समीक्षा कर इसे निरस्त करने अथवा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की अनुशंसा की।
- संशोधन विधेयक के अनुसार, कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाएँगी और यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे दो माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।
  - यदि विद्यार्थी पुन: परीक्षा में फिर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो संबंधित केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशानुसार उसे उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दी जा सकती है।
  - परंतु, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

3.1.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम

(Program for International Student Assessment: PISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने औपचारिक रूप से PISA में पुन: शामिल होने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने वर्ष 2012 से 2015 में निराशाजनक रूप से निम्न स्थान प्राप्त होने तथा वर्ष 2009 में भारत 74 देशों में 72वें स्थान प्राप्त होने पर स्वयं को इस आकलन से पृथक कर लिया था।

VISION IAS

- जनवरी, 2019 में दिल्ली में PISA में भारत की भागीदारी के लिए भारत एवं OECD के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस कार्यक्रम में भारत की ओर से केंद्रीय विद्यालय संगठन,नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय तथा केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विद्यालय भाग लेंगे

PISA के बारे में

- यह एक अंतरराष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम है जिसके द्वारा 15 वर्ष की आयु के छात्रों के पठन, गणित, विज्ञान साक्षरता और यहां तक कि सहयोगी समस्या समाधान एवं वित्तीय साक्षरता जैसे अभिनव विषयों का भी प्रत्येक तीन वर्ष पर आकलन किया जाता है।
- PISA को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया कि यह उन कार्यात्मक कौशलों पर बल देता है जिन्हें छात्रों द्वारा अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा के अंत में प्राप्त किया जाता है।सामग्री-आधारित मूल्यांकन के विपरीत एक सक्षमता आधारित मूल्यांकन है।
- इसे पहली बार वर्ष 2000 में संचालित किया गया था और इसे OECD द्वारा समन्वित किया गया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका संचालन नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स (NCES) द्वारा किया जाता है।
- इसके तहत 80 देशों में छात्रों एवं शिक्षा प्रणाली का आकलन किया जाता है तथा शिक्षा प्रणाली को समझने का प्रयास किया जाता। साथ यह इस संबंध में भी यह सहायता प्रदान करता है कि इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।
- इसके परिणामों को व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रदर्शित किया जाता है बल्कि एक राष्ट्रीय औसत प्राप्तांक को प्रदर्शित किया जाता है। इसका लक्ष्य अधिगम परिणामों को प्रदर्शित करना है न कि विद्यालयी परिणामों को।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

- यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका लक्ष्य विश्व भर के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करना है।
- इसके 36 सदस्य देश हैं और इसे 1960 में 18 यूरोपीय राष्ट्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा द्वारा स्थापित किया गया था।
- भारत, OECD का सदस्य नहीं है।

3.1.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya [KGBV])

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सुपौल में यौन उत्पीड़न की घटना ने देश में KGBV प्रशासन में उपस्थित समस्याओं को उजागर किया है।

योजना के बारे में

- **उद्देश्य: सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** के अंतर्गत KGBV योजना **शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (Blocks)** में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक स्तर की आवासीय प्राथमिक शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करती है।
- **वर्तमान स्थिति:** 3703 KGBVs हैं जिनमें से 3697 KGBVs परिचालन में हैं। इन 3697 KGBVs में 3.78 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ है।
- **अन्य योजना के साथ अभिसरण:** हाल ही में आरंभ की गयी **विद्यालयी शिक्षा पर एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा** के अंतर्गत मौजूदा **बालिका छात्रावास योजना (Girls Hostel Scheme)** को KGBVs के साथ मिलाकर इसे उच्च प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर में अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

3.1.5. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

(Operation Digital Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB) को प्रारंभ किया है।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में

- इसका लक्ष्य **2022 तक सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में** प्रति कक्षा एक डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है।
- **स्कूलों में** इसकी शुरुआत **9वीं कक्षा से की जाएगी तथा साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों** में भी इसे आरम्भ किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक बनाना है और एक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में **फ़्लिप्ड लर्निंग** को लोकप्रिय बनाना है।
- यह मशीन लर्निंग (ML), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल अध्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।
- **उच्च शिक्षा** के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** (UGC) ODB की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

फ़्लिप्ड लर्निंग (Flipped Learning)

- यह एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जिसमें **कक्षा-आधारित सीखने** की पारंपरिक धारणा में परिवर्तन किया जाता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही **सीखने** संबंधी सामग्री प्रदान की जाती है, उसके पश्चात **कक्षा** का समय विषय-संबंधी समझ को गहन करने के लिए अपने सहपाठियों के साथ चर्चा तथा समस्याओं का समाधान करने इत्यादि गतिविधियों हेतु उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षा हेतु अन्य डिजिटल पहलें

- **स्वयं (SWAYAM):** यह एक वेब पोर्टल है, जहाँ सभी प्रकार के विषयों से संबंधित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही इनमें सर्टिफिकेट / क्रेडिट-ट्रांसफर इत्यादि भी प्रदान किये जाते हैं।
- **स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA):** यह 32 DTH चैनलों का एक समूह है, जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित हैं।
- **दीक्षा (DIKSHA): नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स पोर्टल** का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, कक्षा में उपलब्ध संसाधन, मूल्यांकन संबंधी सहायता, समाचार एवं घोषणा तैयार करने और शिक्षक समुदाय के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करना है।

3.1.6. ASER वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट

(ASER Annual Education Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NGO **प्रथम** द्वारा 13वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) प्रकाशित की गयी, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है।

ASER रिपोर्ट पर अतिरिक्त जानकारी

- वर्ष 2017 में, इसने ASER 'बियॉन्ड बेसिक्स' के नाम से अपने प्रथम एकान्तर-वार्षिक प्रारूप का आयोजन किया। इसमें सम्पूर्ण भारत के 28 जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।
- वर्ष 2018 में, ASER रिपोर्ट पुनः अपने 'आधारभूत' मॉडल पर लौट आई।

VISION IAS

ASER 2018 सर्वेक्षण के बारे में

- इस रिपोर्ट में शिक्षा की स्थिति से संबंधित तीन मुख्य आयामों को कवर किया गया है।
  - 3-16 वर्ष की आयु के बच्चों के **स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति**।
  - 5-16 वर्ष की आयु के बच्चों में **बुनियादी पठन और गणित सम्बन्धी क्षमता**।
  - **खेल-कूद की सुविधाओं के साथ स्कूलों की बुनियादी अवसंरचना**।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

सकारात्मक निष्कर्ष

- **स्कूलों में नामांकन में वृद्धि**: स्कूलों में नामांकित बच्चों का आंकड़ा 97 प्रतिशत को पार कर गया है, पहली बार स्कूलों में गैर-नामांकित बच्चों का अनुपात 3 प्रतिशत से भी कम रहा है।
- **स्कूलों में गैर-नामांकित बालिकाओं के अनुपात में कमी:** वर्ष 2018 में, स्कूलों में 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाली गैर-नामांकित बालिकाओं का अखिल भारतीय अनुपात 4.1 प्रतिशत तक कम हो गया है और 15 से 16 आयु वर्ग वाली लड़कियों में यह अनुपात 13.5 प्रतिशत तक कम हुआ है।
- **निजी स्कूलों में नामांकन स्थिर रहा:** वर्ष 2018 में निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों (6-14 आयु वर्ग वाले) का अनुपात 30.9 प्रतिशत के साथ लगभग अपरिवर्तित रहा है जो सार्वजनिक शिक्षा में समग्र विश्वास की ओर संकेत करता है।
- **स्कूली अवसंरचना में सुधार: बालिकाओं के लिए शौचालय, स्कूल के चारों ओर चारदीवारी, और खेल के मैदान के संदर्भ में**
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था (0-8 वर्ष) शिक्षा:** 3 वर्ष की उम्र तक, दो-तिहाई बच्चे किसी न किसी प्रकार के प्री-स्कूल (शिशु विद्यालय) में नामांकित कराए गए थे। नामांकन पैटर्न केवल 8 वर्ष की आयु तक आकर ही स्थिर होता है जब 90% से अधिक बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय में हो चुका होता है।

चिंता के विषय

- **अधिगम में समता–राज्यवार विषमताएं:** यद्यपि अधिकांश राज्यों में तीसरी और पाँचवीं कक्षा का अधिगम-स्तर ऊँचा हुआ है तथापि इन कक्षाओं के अधिगम-स्तर में व्यापक असमानता विद्यमान है। उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में वर्ष 2014-18 के बीच 5% सुधार देखा गया, जबकि तीसरी कक्षा के 13% छात्र अभी तक शब्दों को पढ़ पाने में असमर्थ हैं और शब्दों को न पढ़ पाने वाले बच्चों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 60% से भी अधिक है।
- **पठन-क्षमता में अत्यल्प सुधार:** पाँचवीं कक्षा के 50.3% छात्र उन पाठों को पढ़ने में असमर्थ हैं जो उनसे तीन कक्षा नीचे के छात्रों के लिए बने हैं, यह मात्र 2.2% प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि दर्शाता है।
  - आठवीं कक्षा के लगभग 73% छात्र कक्षा 2 की पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम हैं, यह स्थिति वर्ष 2016 से स्थिर बनी हुई है।
- **गणितीय क्षमता में कोई सुधार नहीं:** तीसरी कक्षा के बच्चे जो घटाव के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं, उनके संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 27.6% था जो वर्ष 2018 में बढ़कर मात्र 28.1% हुआ। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, यह आंकड़ा 2016 में 20.3% और वर्ष 2018 में 20.9% था।
- **गणितीय क्षमता में लैंगिक अंतराल:** वे लड़कियां जो कम से कम दूसरी कक्षा के पाठों का पठन करने में सक्षम हैं, उनका अनुपात 77% के साथ लड़कों के अनुपात के लगभग समान है, हालांकि कई राज्यों में लड़कियां, लड़कों से आगे हैं। किन्तु आधारभूत अंकगणित में, लड़कों ने पर्याप्त बढ़त बनाई हुई है।

VISION IAS

ASER और NAS (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) के बीच अंतर

ASER सर्वेक्षण	NAS सर्वेक्षण
यह एक घरेलू सर्वेक्षण है जिसे वर्ष 2005 से संचालित किया जा रहा है।	यह एक स्कूल-आधारित सर्वेक्षण है।
इसमें एक-एक करके मौखिक मूल्यांकन किया जाता है।	यह पेन पेपर के माध्यम से लिया जाने वाला टेस्ट है।
यह सभी बच्चों (चाहे वो स्कूल में नामांकित हों या नहीं हो) के प्रतिनिधि नमूने पर आधारित है।	यह सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को ध्यान में रखता है।
यह पठन और गणित जैसे मूलभूत कौशलों पर केन्द्रित है।	यह विभिन्न कौशलों पर ध्यान देता है।
यह सर्वेक्षण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है।	यह सर्वेक्षण पूरे देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है।
यह नागरिक-आधारित (citizen-led) सर्वेक्षण है।	यह सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत NCERT द्वारा किया जाता है।

3.1.7. परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स

(Performance Grading Index: PGI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने सभी राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली **स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए** परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स या PGI की शुरुआत की है।

PGI के संबंध में

- यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड प्रदान करेगा। इसके तहत एक से अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान ग्रेड प्रदान की जा सकती है, इसलिए अंततः सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ग्रेडिंग के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं।
- इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती एवं स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी जैसी कुछ निश्चित कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक उपकरण के रूप में संकल्पित किया गया है।
- इसके **70 संकेतकों को दो श्रेणियों** अर्थात परिणामों और शासन प्रक्रियाओं में विभाजित किया गया हैं।
  - प्रथम श्रेणी को चार डोमेन में विभाजित किया गया है यथा अधिगम परिणाम, पहुंच परिणाम, अवसंरचना एवं सुविधाएं तथा समता परिणाम।
  - द्वितीय श्रेणी में उपस्थिति, शिक्षक पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल हैं।

3.1.8. हैप्पी स्कूल परियोजना

(Happy Schools Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में **महात्मा गांधी शांति एवं संपोषणीय विकास शिक्षा संस्थान (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development:MGIEPS)** की भागीदारी से यूनेस्को द्वारा हैप्पी स्कूल परियोजना प्रारम्भ की गयी।

VISION IAS

परियोजना के सम्बन्ध में

- इस परियोजना को 2014 में स्कूलों में छात्र कल्याण और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था।
- परियोजना के फ्रेमवर्क का उद्देश्य **शिक्षा प्रणाली में प्रसन्नता और शिक्षा की गुणवत्ता, दोनों** का समावेश करना है। परियोजना शिक्षा प्रणाली को पारम्परिक मानकों के स्थान पर मूल्यों, शक्तियों एवं क्षमताओं की पहचान पर आधारित, प्रतिभा और बुद्धिमता के विविध प्रकारों को बढ़ावा देने की प्रणाली की ओर ले जाना चाहती है। यह प्रणाली प्रसन्नता में वृद्धि करने में सहायक होगी।
- परियोजना के फ्रेमवर्क में तीन श्रेणियां–लोग, स्थान और प्रक्रिया के अंतर्गत एक हैप्पी स्कूल के लिए 22 मानदंड सम्मलित हैं।

महात्मा गाँधी शांति एवं संपोषणीय विकास शिक्षा संस्थान

- यह भारत में यूनेस्को का पहला विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षा संस्थान है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कैटेगरी 1 श्रेणी का पहला संस्थान है।
- इसकी भूमिका क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए सदस्य सरकारों को सहयोग,परामर्श और साझा अनुसंधान प्रदान करने की होगी।
- यह संपोषणीय विकास हेतु शिक्षा (ESD) और शांति शिक्षा के लिए समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करेगा।

3.1.9. भारतीय शिक्षा बोर्ड

(Bharatiya Shiksha Board: BSB)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए **देश के पहले नेशनल स्कूल बोर्ड के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) के स्थापना** के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

बोर्ड के बारे में

- इसका **उद्देश्य** पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षा का आयोजन करने और प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से **वैदिक शिक्षा का मानकीकरण** करना है।
- BSB को **पारंपरिक पाठशालाओं से संबद्ध करने के अतिरिक्त** वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का समायोजित स्वरूप प्रदान करने वाले **नए प्रकार के स्कूलों के विकास का** उत्तरदायित्व भी सौंपा जाएगा ।
- यह **पारंपरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान करने** संबंधी समस्या का भी समाधान करेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान** (MSRVP) द्वारा निर्धारित मॉडल उपनियमों के अनुरूप इस बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- MSRVP को **वेदों के मौखिक अध्ययनों के विकास तथा प्रचार** के लिए स्थापित किया गया था।
- यह वर्तमान में देश भर में **पाठशालाओं तथा गुरु-शिष्य परम्परा योजना** के तहत पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने वाले 450 संस्थानों को संबद्ध करता है।
- यद्यपि यह संगठन दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है, परंतु इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को अधिकांश संस्थानों द्वारा शिक्षा के मानक स्तर के समकक्ष नहीं माना जाता है।

3.2. उच्चतर शिक्षा

(Higher Education)

3.2.1. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक, 2018 का प्रारूप

(Draft Higher Education Commission of India (HECI) Bill, 2018)

सुर्खियों में क्यों?

- मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) ने **HECI (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम निरसन)** विधेयक 2018 तैयार किया है। वर्तमान में इसे टिप्पणियों और सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है ।

VISION IAS

- यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का निरसन करता है तथा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में एक वैधानिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ।
- इसे देश में एकमात्र अनुदान प्रदान वाली एजेंसी होने का अद्वितीय गौरव प्राप्त है, इसे दो उत्तरदायित्व सौंपे गए है: अनुदान प्रदान करना और शिक्षा के मापदंडों का समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण।

3.2.2. उत्कृष्ट संस्थान

(Institutions of Eminence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) द्वारा **छह शैक्षणिक संस्थानों** (तीन सार्वजनिक क्षेत्र के और तीन निजी क्षेत्र के) को उत्कृष्ट संस्थान (IoE) का दर्जा प्रदान किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के तीन संस्थान: IIT दिल्ली, IIT मुंबई एवं IISc बेंगलुरु तथा निजी क्षेत्र के तीन संस्थान- BITS पिलानी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, और जियो यूनिवर्सिटी (जिसे अभी स्थापित नहीं किया गया है) हैं।

पृष्ठभूमि

- भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसी को भी 2017 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। **बजट 2016** में भी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी ताकि उन्हें विश्व स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया जा सके।
- इस संदर्भ में, सरकार द्वारा **एन. गोपालस्वामी** की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (EEC) का गठन किया गया था जिसने 6 संस्थानों की उत्कृष्ट संस्थान के रूप में सिफारिश की थी।

IOE क्या है?

- IOE उन संस्थानों को दिया गया एक टैग है जो
- **नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (अपनी श्रेणी में) में शीर्ष 50 संस्थानों** में से एक हैं या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसी **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में शीर्ष 500** में से एक हैं।
- इनमें विदेशी और घरेलू दोनों स्तर के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होती है
- तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित अवसंरचना होती है। इसके अतिरिक्त इसका दृष्टिकोण बहु-अनुशासनात्मक होता है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

- इसे **2015 में लॉन्च** किए गया था। यह फ्रेमवर्क देश भर में संस्थानों की रैंकिंग करने हेतु एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है।
- ये मानदंड व्यापक रूप से "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "शोध और व्यावसायिक पद्धतियों", "स्नातक परिणाम," "पहुँच और समावेशन" और "समझ" को शामिल करते हैं।

IOE के लाभ

- **वित्तीय सहायता:** इस योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्ट संस्थान' के रूप में चुने गए प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

VISION IAS

- **स्वायत्तता:** इन संस्थानों को निम्न प्रकार से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी:
  - कुल छात्रों के 30% तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति;
  - ऐसे संस्थान कुल शिक्षकों के 25% तक विदेशी शिक्षकों को भर्ती कर सकेंगे;
  - अपने कार्यक्रमों का 20% तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना;
  - UGC की अनुमति के बिना विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग कर सकता है;
  - बिना किसी रोक के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क का निर्धारण और शुल्क की वसूली;
  - डिग्री प्राप्त करने हेतु क्रेडिट घंटे और वर्षों की संख्या के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम संरचना में सुविधा प्रदान करना;
  - पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम आदि को निर्धारित करने की पूर्ण स्वायत्तता आदि।
- **विश्व स्तरीय संस्थान:** इन्हें अधिक कौशल और गुणवत्ता में सुधार के साथ अपने परिचालन को बढ़ाने का अधिक अवसर प्राप्त होगा ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर के संस्थान बन सकें।
- **विश्व रैंकिंग:** यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त चयनित संस्थान 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में और अंततः विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

3.2.3. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऐकडेमिक नेटवर्क (GIAN) कोर्स

(The Global Initiative on Academic Network (GIAN) Course)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, 'अरबन एनालिटिक्स: इवैल्यूऐटिंग एंड मेजरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिटीज' पर दूसरा GIAN कोर्स जारी किया गया।

GIAN के बारे में

- उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में GIAN का उद्देश्य **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का लाभ उठाना है ताकि** भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी संबद्धता को प्रोत्साहित किया जा सके।
- यह देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों में संवर्द्धन, गुणवत्ता में सुधार की गति को तीव्र करने तथा भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह पहल IITs, IIMs, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IISc बैंगलोर, IISERs, NITs और IIITs तथा उत्कृष्ट राज्य विश्वविद्यालयों में लघु अवधि या एक सेमेस्टर की अवधि वाले पाठ्यक्रम हेतु प्रतिष्ठित / सहायक/ विजिटिंग फैकल्टी/ प्रोफेसर आदि के रूप में **विदेशी फैकल्टी की भागीदारी** का प्रावधान करती है।
- बाद में, ये व्याख्यान **स्वयं (SWAYAM) और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी** के माध्यम से देश भर के छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.2.4. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण

(All India Survey on Higher Education: AISHE)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2017-18 के नतीजे जारी किए गए।

AISHE के बारे में

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने एक सुदृढ़ डेटाबेस का निर्माण करने और देश में उच्चतर शिक्षा के सही परिदृश्य का आकलन करने हेतु वर्ष 2010-11 में एक AISHE की शुरुआत की थी।
- **सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित थे -
  - देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की पहचान करना और उनको सम्मिलित करना
  - उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से आँकड़े एकत्रित करना
- शैक्षणिक विकास के संकेतक जैसे कि संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक, प्रति विद्यार्थी व्यय की गणना भी AISHE के द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ों के माध्यम से की जाती है।
- यह सर्वेक्षण अब एक **वार्षिक अभ्यास** बन गया है।

VISION IAS

निम्नलिखित व्यापक विषयों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है-

- संस्थान का मूल विवरण
- शिक्षक का विवरण
- गैर-शिक्षण स्टाफ का विवरण
- विभिन्न फैकल्टी / स्कूलों और विभागों / केंद्रों के तहत संचालित कार्यक्रम (विषय)
- इन विषयों में नामांकित विद्यार्थी
- प्रत्येक कार्यक्रम के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम
- विभिन्न मदों के तहत प्राप्तियाँ और व्यय जैसी वित्तीय सूचना
- अवसंरचना की उपलब्धता
- छात्रवृत्ति, ऋण और प्रमाणन

3.2.5. 2022 तक अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों का पुनरुद्धार-कार्यक्रम (RISE)

(Revitalising Infrastructure and Systems in Education by 2022)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने **"2022 तक अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों के पुनरुद्धार (RISE)"** नामक पहल को स्वीकृति प्रदान की है।

2022 तक RISE पहल के बारे में

- इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - 2022 तक भारत में अनुसंधान और शैक्षणिक अवसंरचना को गुणात्मक दृष्टि से वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना।
  - भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उच्च-गुणवत्ता वाली अनुसंधान अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित कर भारत को शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना।
  - छात्रों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार सृजित किए बिना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, AIIMS, IISERs और राष्ट्रीय महत्व के नव निर्मित संस्थानों के लिए HEFA वित्तपोषण की अनुमति प्रदान करना।
  - सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, अधिकाधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा लागतों एवं समय में अत्यधिक वृद्धि से बचने हेतु ब्लॉक-अनुदान मोड के स्थान पर प्रोजेक्ट-मोड को अपनाना।
  - केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों, और AIIMSs जैसे चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकताओं को तत्परता में पूरा करना।
- इस पहल हेतु उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) को 1,00,000 करोड़ रुपये जुटाने का कार्य सौंपा गया है।
- इस पहल के तहत HEFA के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने वाले संस्थानों के दायरे को विस्तृत करने के लिए उच्चतर शिक्षा के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है।

HEFA के बारे में

- HEFA को 2017 में केंद्र सरकार द्वारा **गैर-लाभकारी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के अधीन उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना निर्माण हेतु **अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों** (बाजार-आधारित उपकरणों का उपयोग करके बाजार से धन) को जुटाना है।
- HEFA की कुल अधिकृत इक्विटी पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- HEFA **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम** है जिसमें दोनों की क्रमशः 91% और 9% के अनुपात में एक सहमत इक्विटी भागीदारी है।
- **HEFA का मिशन:** भारत के शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए **प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर समय से वित्त प्रदान करना** तथा कॉर्पोरेट से CSR फंड एकत्रित कर और अन्य स्रोतों से प्राप्त दान संग्रहित कर अनुदान के माध्यम से इसे अनुपूरित करना।

VISION IAS

3.2.6. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

(National Testing Agency: NTA)

सुर्खियों में क्यों?

NTA ने 2019 से NEET एवं JEE मेन्स परीक्षा को वर्ष में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है।

NTA के बारे में

- इसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/ फेलोशिप हेतु परीक्षाएं आयोजित करने हेतु एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।
- NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-NET पात्रता (UGC-NET), JEE (मेन), CMAT, GPAT और NEET शामिल हैं।
- विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण हेतु NTA को सभी परीक्षाओं को वर्ष में दो बार आयोजित करने का अधिदेश दिया गया था।
- इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद् द्वारा की जाएगी।
- अन्य विषयों के अतिरिक्त, **NTA का उद्देश्य** छात्रों की क्षमता का आकलन करने हेतु वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की गई कुशल, पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। यह विषय के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करेगा तथा परीक्षण को सुसंतुलित बनाने हेतु परीक्षण विशेषज्ञों के सहयोग से परीक्षण सामग्री तैयार करेगा।

3.2.7. अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम

(Consortium for Academic and Research Ethics)

सुर्खियों में क्यों?

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) ने अनुसंधान संबंधी प्रकाशन को परिष्कृत एवं सुदृढ़ करने हेतु अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम (CARE) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली इत्यादि विषयों की अच्छी गुणवत्ता वाली अनुसंधान पत्रिकाओं को CARE द्वारा बनाए रखा जाएगा, जिसे **'गुणवत्ता पत्रिकाओं की CARE संदर्भ सूची' (CARE Reference List of Quality Journals)** के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- इसका उपयोग सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 'गुणवत्ता पत्रिकाओं की CARE संदर्भ सूची' को UGC एवं कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा अपनी निजी वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतित और प्रकाशित किया जाएगा।

3.2.8 भाषा संगम कार्यक्रम

(Bhasha Sangam Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** ने **एक भारत श्रेष्ठ भारत'** के भाग के रूप में **भाषा संगम कार्यक्रम** की शुरुआत की है।

VISION IAS

कार्यक्रम के बारे में

- इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - **भाषाई सहिष्णुता** और सम्मान में वृद्धि करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
  - भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित **सभी 22 भारतीय भाषाओं के विषय में स्कूली छात्रों को जानकारी प्रदान करना।**
- इसे **राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित** किया जाएगा।
- यह पहल अनिवार्य नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई औपचारिक परीक्षण नहीं किया जाएगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

- इसे सरदार पटेल की 140वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर, 2015 को प्रारंभ किया गया था, इस कार्यक्रम का **उद्देश्य विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी संपर्क को बढ़ाना है।**
- **इसके तहत, एक वर्ष के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का युग्म बनाया जाएगा।** इस एक वर्ष के दौरान ये राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा, व्यापार आदि के माध्यम से लोगों का आवागमन और उनके मध्य आपसी संपर्क को बढ़ाएंगे।

4. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता (Health, Nutrition And Sanitation)

4.1. स्वास्थ्य

(Health)

4.1.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल -2018

(National Health Profile-2018)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP)-2018 जारी किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के विषय में

- इस वार्षिक प्रकाशन का उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य जानकारी का** ऐसा **डेटाबेस** तैयार करना है जो व्यापक व अद्यतित होने के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सभी हितधारकों को उपयोग करने हेतु सरलता से उपलब्ध हो।
- राष्ट्रीय प्रोफाइल में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं -
  - **जनसांख्यिकीय सूचना,**
  - **सामाजिक-आर्थिक सूचना,**
  - **स्वास्थ्य की स्थिति**
  - **स्वास्थ्य वित्त संकेतक,**
  - **स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र** में विद्यमान मानव संसाधनों के विषय में व्यापक जानकारी।
- इसे **केंद्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर ब्यूरो** द्वारा तैयार किया जाता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (CBHI)

- 1961 में मुदलियार समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य आसूचना शाखा के रूप में कार्य करता है।
- इसका दर्शन **"सम्पूर्ण देश में सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली"** बनाए रखना है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (CBHI) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों, योजना और अनुसंधान गतिविधियों के लिए देश के स्वास्थ्य क्षेत्रक से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण एवं प्रसार करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक से संबंधित सुधारों के लिए नवाचारी अभ्यासों की पहचान करना एवं उनका प्रसार करना।
- भारत में सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों, दोनों में वैज्ञानिक रूप से चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए मानव संसाधन का विकास करना।
- भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों में WHO फेमिली ऑफ़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के कोलेबोरेटिंग सेंटर (CC) के रूप में कार्य करना।

प्रमुख निष्कर्ष:

- अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृति देखी जा रही है।
- **कुल प्रजनन दर- 12 राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रति महिला दो बच्चे से नीचे हो गई तथा** 9 राज्यों ने 2.1 एवं इससे अधिक के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर लिया है। दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रजनन क्षमता निम्नतम रही है। **गरीबों एवं निरक्षरों के मध्य प्रजनन क्षमता में तीव्रता से गिरावट आयी है।**
- 2010-12 से 2011-13 के दौरान **मातृत्व मृत्यु दर (MMR)** में 11 अंकों की **कमी** देखी गई है। 2011-13 में असम में MMR सर्वाधिक (प्रति 1, 00,000 जीवित जन्मों पर 300) तथा सबसे कम केरल (प्रति 1, 00,000 जीवित जन्मों पर 61) में रहा।

VISION IAS

- **शिशु मृत्यु दर (IMR)** में अत्यधिक कमी हुई है; 2015 में यह 37 थी; हालाँकि, ग्रामीण (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 41) एवं शहरी (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25) क्षेत्र के IMR में अभी भी अत्यधिक अंतराल विद्यमान है।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त:** भारत अपने GDP (2015-16) का केवल 1.02% स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च करता है। हालांकि, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय में नाममात्र की वृद्धि हुई है।
    - कुल व्यक्तियों में से बीमा के तहत कवर किए गए व्यक्तियों में से 79% सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए गए थे, शेष निजी बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए गए थे।

प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावलियां -

- **प्राकृतिक वृद्धि दर-** यह एक वर्ष के भीतर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या तथा मृत शिशुओं की संख्या के अंतर को उस वर्ष के मध्य (mid-year) की जनसंख्या से विभाजित कर एवं एक गुणक (सामान्य तौर पर 1,000 से) से गुणा करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को संदर्भित करता है। जनसंख्या परिवर्तन की इस माप में प्रवास के प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता है।
- **कुल प्रजनन दर-** यह किसी महिला के जीवन में जन्म लेने वाले या संभावित रूप में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है, यदि वह जनसंख्या में आयु-विशिष्ट प्रजनन क्षमता की प्रचलित दर के अधीन है।
    - प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों का TFR, प्रजनन की **प्रतिस्थापन स्तर** कहलाती है। यह मान प्रजनन क्षमता के स्तर को निरुपित करता है, जिससे एक पीढ़ी की जनसँख्या, आगामी पीढ़ी से प्रतिस्थापित होती है।
- **मातृत्व मृत्यु दर-** जन्म या प्रसव संबंधित जटिलताओं के कारण प्रति 100,000 पंजीकृत जीवित जन्मों पर पंजीकृत माताओं की मृत्युओं की संख्या।
- **शिशु मृत्यु दर-** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्युओं की संख्या।

4.1.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी

(National Health Resource Repository: NHRR)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (NHRR) का शुभारंभ किया।

NHRR के बारे में

- यह भारत में सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक आंकड़ों की प्रथम रजिस्टरी है, जिनमें अन्य विषयों के साथ-साथ अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाएँ, चिकित्सक और औषधालय आदि सम्मिलित हैं।
- NHRR की अवधारणा **केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो** (Central Bureau of Health Intelligence :CBHI) द्वारा दी गई है। डेटा सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) इस परियोजना का तकनीकी साझेदार है।
- NHRR के लिए **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008** के तहत अस्पतालों, चिकित्सकों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, औषधालयों और नर्सिंग होम जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों की गणना की जाएगी।
- इसका उद्देश्य **साक्ष्य-आधारित निर्णय निर्माण को सुदृढ़ता प्रदान करना** तथा भारत की सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम स्वास्थ्य देखभाल संसाधन रिपॉजिटरी द्वारा नागरिकों और प्रदाता-केंद्रित सेवाओं के लिए एक मंच विकसित करना है।
- यह स्वास्थ्य के अन्य निर्धारकों, जैसे - बीमारी, पर्यावरण आदि से उत्पन्न हुई मौजूदा एवं भावी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चुनौतियों की दिशा में उन्नत अनुसंधान को सक्षम बनाएगा।
- यह स्वास्थ्य संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए **केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समन्वय** को भी बढ़ाएगा तथा जिला एवं राज्य स्तर पर निर्णय-निर्माण का विकेंद्रीकरण करेगा।
- यह अन्तरसंक्रियता प्रदान कर समरूप कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण को बढ़ावा देगा।

VISION IAS

4.1.3. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म

(Integrated Health Information Platform: IHIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के तहत 7 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल तथा आंध्र प्रदेश में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म (IHIP) को आरंभ किया गया।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म

- IHIP एक **वेब-सक्षम नियर-रियल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली** है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मानकों के अनुरूप नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) के सृजन को सक्षम बनाना है।
- **IHIP की प्रमुख विशेषताएं**
  - रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग (मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से); सभी स्तरों (गांवों, राज्यों और केंद्रीय स्तर से) हेतु सुगम्य
  - उन्नत डेटा मॉडलिंग एवं विश्लेषणात्मक उपकरण
  - डेटा के GIS सक्षम ग्राफिकल निरूपण को एकीकृत डैशबोर्ड में परिवर्तित करना
  - भूमिका तथा पदानुक्रम-आधारित फीडबैक और चेतावनी तंत्र
  - स्वास्थ्य सुविधाओं की रिपोर्टिंग की जियो-टैगिंग
  - अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ डेटा एकीकरण का अवसर
- **एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (IDSP):** इसका उद्देश्य महामारी प्रवण रोगों हेतु विकेन्द्रीकृत प्रयोगशाला-आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/रखरखाव करना है ताकि रोग प्रवृतियों की निगरानी की जा सके तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम (RRTs) के माध्यम से प्रारंभिक चरण में ही महामारी का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- **IHIP के एक भाग के रूप में IDSP** का उद्देश्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं पर व्यक्ति-स्तरीय डेटा प्राप्त करना है।

अन्य संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल (NHP)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय **(MoHFW)** ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के निर्णयों का अनुसरण करते हुए दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल की स्थापना की थी, ताकि भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जा सके और समेकित स्वास्थ्य सूचना हेतु सिंगल पॉइंट ऑफ़ एक्सेस (SPoA) के रूप में सेवा प्रदान की जा सके।
- यह पोर्टल विभिन्न उपयोगकर्ताओं जैसे शिक्षाविदों, नागरिकों, छात्रों, स्वास्थ्य पेशेवरों तथा शोधकर्ताओं इत्यादि की व्यापक श्रेणी के लिए **स्वास्थ्य क्षेत्र में समेकित एवं प्रामाणिक जानकारी और संसाधनों हेतु सिंगल पॉइंट ऑफ़ एक्सेस के रूप** में कार्य करता है।

4.1.4. नेशनल हेल्थ स्टैक

(National Health Stack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **साझा डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, नेशनल हेल्थ स्टैक** की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

NHS के बारे में

- यह क्लाउड-बेस्ड सेवाओं का एक संग्रह है।

लक्ष्य:

- प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में निजी चिकित्सालयों और निजी चिकित्सकों का प्रवेश;

VISION IAS

- गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases: NCD) पर ध्यान केंद्रित करना; रोग निगरानी; स्वास्थ्य योजना प्रबंधन प्रणाली; पोषण प्रबंधन; स्कूल स्वास्थ्य योजनाएं; आपातकालीन प्रबंधन; स्वास्थ्य, टेलीहेल्थ, टेली-रेडियोलॉजी के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म; नैदानिक उपकरण; हेल्थ कॉल सेंटर आदि।
- यह **भारत की प्रथम** अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर की साझा डिजिटल हेल्थकेयर अवसंरचना होगी जो **केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में** उपयोग योग्य होगी।

4.1.5. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

(Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने रांची (झारखण्ड) से विश्व की सबसे बड़ी राज्य वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का शुभारम्भ किया।

विवरण

प्रारंभिक रूप से इसकी घोषणा 2018-2019 के आम बजट में की गई थी, इसके निम्नलिखित दो घटक हैं:-

- **स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के प्रस्ताव के अनुरूप इसके अंतर्गत 1.5 लाख केंद्र गैर-संक्रमणीय रोगों तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त ये केंद्र आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं को भी मुफ्त में प्रदान करेंगे।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** यह 10 करोड़ निर्धन एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 लाख लाभार्थियों) को सम्मिलित करेगी। इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल संबंधी सेवाओं हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये/प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इसके एक भाग के रूप में घोषित किया गया है।

इस योजना की विशेषताएं:

- **लाभार्थी की पहचान करना:** PMJAY मुख्य रूप से निर्धन एवं वंचित ग्रामीण परिवारों को लक्षित करती है। इसके साथ ही यह शहरी श्रमिकों के कुछ व्यावसायिक श्रेणियों को सम्मिलित करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत लाभप्राप्त परिवारों को मिलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु **सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना** (SECC) के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के 8.03 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के 2.33 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत **परिवार के आकार, आयु की सीमा निर्धारण के साथ-साथ पूर्ववर्ती प्रशर्तों के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं** किया गया है।
- **इन पेशेंट देखभाल से लेकर पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन देखभाल संबंधी चिकित्सकीय सेवा प्रदान करना:** यह योजना प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये प्रति वर्ष की कवरेज प्रदान करेगी, जो कि सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (EHCP) के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेगी। इन सेवाओं के अंतर्गत 1350 सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें पूर्व एवं पश्चात चिकित्सकीय सेवा, निदान और दवाएं शामिल हैं।
- **सार्वभौमिकता:** PMJAY की प्रमुख विशेषता **पूर्ण रूप से संचालित होने के पश्चात इसकी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी** होगी। इसके तहत लाभार्थी और समेकित रूप से प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण देश में किसी भी राज्य में सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी । इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)** राज्य सरकारों के साथ गठबंधन कर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के डिजाइन, रोल-आउट, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टि तथा कार्यवाही प्रदान करेगी।
- **राज्यों के साथ गठबंधन:** यह योजना **नियम आधारित नहीं, बल्कि सिद्धांत आधारित है:**
    - यह योजना पैकेज, प्रक्रियाओं, योजना डिजाइन, अधिकारों के साथ-साथ अन्य दिशानिर्देशों के संदर्भ में राज्यों को पर्याप्त लचीलेपन की अनुमति प्रदान करती है साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी और धोखाधड़ी का पता लगाना भी सुनिश्चित करती है।

VISION IAS

- राज्यों के पास **ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल** के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित करने का विकल्प उपलब्ध है। यद्यपि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी।
- नीतिगत निर्देश प्रदान करने एवं केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देने हेतु उच्चतम स्तर पर **आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद्** (AB-NHPMC) की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाएगी।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना एवं डाटा संबंधी गोपनीयता:** NHA सूचना सुरक्षा नीति और डेटा गोपनीयता नीति को संस्थागत किया जा रहा है ताकि सभी कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में लाभार्थियों के व्यक्तिगत डेटा एवं संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित संचालन पर नियंत्रण प्रदान किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM):** यह योजना प्रमाणित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का एक कैडर तैयार कर रही है जिसे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) कहा जाता है, जो लाभार्थियों द्वारा अस्पताल में उपचार का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। अतः वे स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।
- **NSDC** उन्हें व्यवहार, ज्ञान और प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में कौशल प्रदान करेगा।
- NSDC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों (PMKK) के नेटवर्क का उपयोग करेगा।
- इन्हें **हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल** (NSDC के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु गैर-सांविधिक निकाय) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

4.1.6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

(National Health Authority:NHA)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" के रूप में पुनर्गठित करने के** लिए स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य सम्बंधित जानकारी

- इस प्राधिकरण को अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय** बना दिया गया है।
- मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO पद** को भारत सरकार के सचिव के रूप में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। अब CEO के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे-
  - **पूर्ण वित्तीय अधिकार** (अब तक NHA द्वारा जारी सभी फंड स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जारी किए जाते थे)
  - NHA का पूर्ण **प्रशासनिक नियंत्रण**।
- वर्तमान बहु-स्तरीय निर्णयन संरचना को **शासी बोर्ड** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है:
  - इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करेंगे।
  - इसके सदस्यों में नीति आयोग के CEO और NHA के CEO सम्मिलित होंगे।
  - डोमेन विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और बोर्ड में राज्यों का भी चक्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
  - बोर्ड तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से यह कदम उठाया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को **स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे से** बाहर कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की **भूमिका अब** संसदीय मामलों में NHA के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करने तक **सीमित रहेगी** जैसे- वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

VISION IAS

4.1.7. जनऔषधि सुविधा- ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन

(Janaushadhi Suvidha - Oxo-Biodegradable Sanitary Napkin)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत 'जनऔषधि सुविधा- ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन' का शुभारंभ किया है।

विस्तृत विवरण

- अब जनऔषधि केंद्रों में **वहनीय सेनेटरी नैपकिन** (प्रति पैड 2.50 रुपये) उपलब्ध होंगे। यह वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए आधारभूत स्वच्छता आवश्यकताओं को किफायती बनाने में सहायक साबित होगा।
- जनऔषधि सुविधा में एक विशेष योजक जोड़ा गया है, जो इसे फेंके जाने के पश्चात् ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बायोडिग्रेडेबल (जैव-निम्नीकरणीय) बनाता है। इस प्रकार यह अल्प सुविधा प्राप्त भारतीय महिलाओं के लिए **"स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा"** सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (PMBJP) के बारे में

- यह **औषध विभाग** द्वारा आरम्भ किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध करना है।
- **ब्यूरो ऑफ़ फार्मा PSU ऑफ़ इंडिया** इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है।
    - औषध विभाग के अधीन सभी फार्मा CPSUs को मिलाकर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी।
    - यह इन संगठनों के कार्य और संसाधनों में वृद्धि करने हेतु प्रभावी सहकार्य एवं सहयोग प्रदान करता है।

सम्बंधित तथ्य

उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल

- यह तीन तेल विपणन कंपनियों - IOCL, BPCL और HPCL (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत) की एक पहल है - जिसका शुभारंभ ओडिशा में किया गया था।
- उज्जवला पैड लकड़ी की विशुद्ध लुगदी, गैर-बुना सफेद शीट और एक जेल शीट से बने होंगे और ये सभी जैव-निम्नीकरणीय प्रकृति के हैं।

किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के संवर्द्धन के लिए योजना

- यह योजना **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन है।
- इस योजना के तहत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मुख्य रूप से ग्रामीण किशोरियों हेतु सब्सिडीकृत दरों पर सेनेटरी नैपकिन पैक की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निधि प्रदान की जाती है।
- इस योजना में मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किशोरियों के साथ मासिक बैठक आयोजित करने हेतु आशा (ASHAs) कार्यकर्ताओं के लिए धन के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, 15 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 58% महिलाएं स्थानीय रूप से तैयार नैपकिन, सेनेटरी नैपकिन और टैम्पोन का प्रयोग करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में लगभग 78% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का प्रयोग करती हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सेनेटरी नैपकिन तक केवल 48% महिलाओं की ही पंहुच है।

VISION IAS

4.1.8. आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी से संबंधित योजना

(Scheme for Pharmacovigilance of Ayush Drugs)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष की दवाओं की सुरक्षा निगरानी में वृद्धि करने हेतु नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई है।

फार्माकोविजिलेंस के बारे में

- इसे प्रतिकूल प्रभावों या दवा से संबंधित किसी अन्य समस्या का पता लगाने, मूल्यांकन करने, समझ और रोकथाम से संबंधित विज्ञान एवं गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है।

अन्य संबंधित सुर्खियां

- हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई-औषधि पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं एवं उनके उत्पादों, निरस्त और नकली दवाओं की रियल-टाइम जानकारी तथा विशिष्ट शिकायतों के लिए संबंधित प्राधिकरणों के संपर्क विवरण प्रदान करेगा।

योजना के बारे में:

- **उद्देश्य:** दवाओं के **दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखने की संस्कृति** को विकसित करने के साथ ही आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी करना।
- यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित **भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी** करेगा।
- आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान** को इस पहल से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को समन्वित करने हेतु नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के रूप में नामित किया गया है।
- इस योजना का लक्ष्य 2020 तक 100 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के लक्ष्य को प्राप्त करना भी है।
- नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में **केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन** के प्रतिनिधि और देश में फार्माकोविजिलेंस के लिए WHO के सहयोगी केंद्र होने के नाते **भारतीय फार्माकोपिया आयोग** इस पहल में सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में संबद्ध हैं।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के संबंध में:

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है।यह देश में नई दवाओं, नैदानिक परीक्षणों को स्वीकृति प्रदान करने तथा दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखता है और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
- यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन में एकरूपता लाने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बारे में

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह दवाओं, औषधियों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों/प्रौद्योगिकियों आदि से संबंधित मानकों की स्थापना हेतु समर्पित है।
- यह रिफरेन्स सब्स्टेन्स (Reference Substances) एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है।

यद्यपि आवधिक सुरक्षा संबंधी अद्यतन रिपोर्ट के लिए पूरी जिम्मेदारी CDSCO की है, वहीं भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) एडवर्स ड्रग रिपोर्ट (ADRs) को समन्वित करने हेतु एक प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करता है।

4.1.9. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)

National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)** प्रस्तुत की है।

VISION IAS

गोल्डन ट्रायंगल

- यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के बीच का क्षेत्र है।

गोल्डन क्रिसेंट

- एशिया में अवैध अफीम उत्पादन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में फैला है।
- यह मध्य, दक्षिण और पश्चिमी एशिया के चौराहे पर स्थित है।

NAPDDR के सम्बन्ध में

उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक **बहु-आयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे:

- निवारक शिक्षा, जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास।
- केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

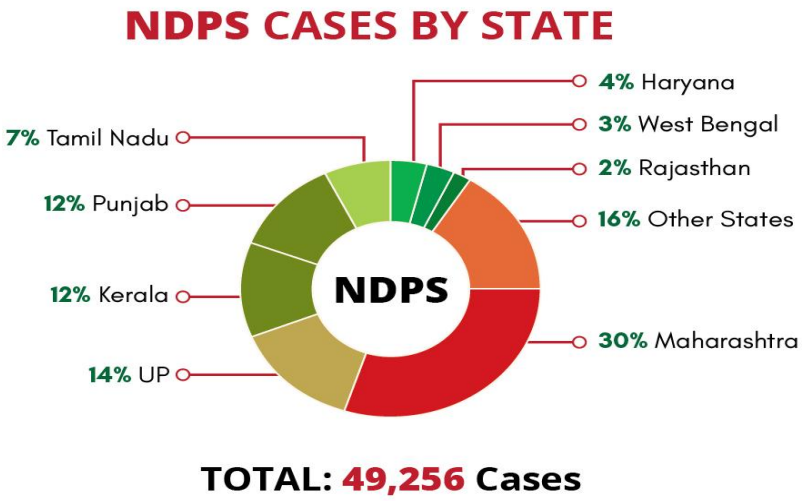

प्रशासनिक तंत्र

- शामक, दर्द निवारकों और माँसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय** और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकना।
- सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कौशल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक **बहु-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति।**

कुछ आवश्यक पहलें:

- शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और पुलिस पदाधिकारियों आदि के लिए **जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित** करना।
- स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों जैसे महिला मंडल, स्व-सहायता समूह आदि को सम्मिलित कर मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने में **सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाने की भी योजना** है।
- अलग-अलग श्रेणियों और आयु समूहों में **मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों के पुन:उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद के लिए माड्यूल तैयार करना।**

ड्रग्स नियंत्रण के लिए कानूनी/संवैधानिक ढांचा

- संविधान का **अनुच्छेद 47** राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। **यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेयों और दवाओं के निषेध की बात करता है।**
- **नारकोटिक ड्रग्स (स्वापक औषधि) और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय।**
  - यह **मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक उपाय प्रदान करता है, जिसमें धन शोधन के विरुद्ध प्रावधान भी सम्मिलित हैं।**
  - यह मादक पदार्थों के तस्करों के प्रत्यर्पण, नियंत्रित वितरण और कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** का प्रावधान करता है।

स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम)

- यह अधिनियम अनिवार्य रूप से **आपूर्ति में कमी** की गतिविधियों से सम्बन्धित है। यह किसी व्यक्ति को किसी भी नशीली दवा या मादक पदार्थों के उत्पादन/निर्माण/कृषि करने, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, संग्रहण और/या उपभोग को प्रतिबंधित

VISION

करता है।

- **इसमें ड्रग्स पर निर्भर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के कुछ प्रावधान** भी सम्मिलित हैं। यह केंद्र सरकार को नशेबाज़ों की पहचान, उपचार, उपचार पश्चात देखभाल, इनके पुनर्वास और निवारक शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करता है।
- यह केंद्र सरकार को उपचार केन्द्रों की स्थापना, रखरखाव और नियमन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- यह केवल उन पंजीकृत नशेबाजों के मामले में ड्रग्स की आपूर्ति की अनुमति देता है जहाँ उनका चिकित्सकीय प्रयोग किया जाए और औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इन पदार्थों की अनुमति देता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत **नशे के अनिवार्य उपचार के लिए कोई प्रावधान नहीं है।**
- अधिनियम के पालन के लिए **नारकोटिक नियन्त्रण ब्यूरो (NCB)** का गठन किया गया था और ब्यूरो को इस अधिनियम के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करने का अधिकार दिया गया है।
- नार्को-टेररिज्म को रोकने हेतु इस अधिनियम के तहत 1989 में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया।
- यह अधिनियम मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से सम्बंधित अपराधों हेतु 10 वर्ष की अनिवार्य सजा का भी प्रावधान करता है। इस निरूपण के अनुसार मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा रखने वाला व्यक्ति मादक पदार्थों का अवैध व्यापारी होता है।

4.1.10. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको

(WHO Framework Convnetion on Tobacco)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए **WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)** के अंतर्गत प्रोटोकॉल में भारत के सम्मिलित होने को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- WHO FCTC, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में संपन्न **प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि** है।
- इस सम्मेलन एवं इसके प्रोटोकॉल का उद्देश्य, तम्बाकू की खपत एवं तम्बाकू के धुएं के संपर्क के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दुष्परिणामों से, **वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को संरक्षण** प्रदान करना है।
    - यह कन्वेंशन **विस्तृत चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियों** की अनुशंसा करता है।
    - भारत WHO FCTC का एक पक्षकार देश है। भारत ने प्रथम बार FCTC की COP बैठक के सातवें सत्र की मेजबानी की थी।

संबंधित तथ्य

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि तंबाकू उत्पादों में पैकेजिंग स्पेस के 85% भाग को कवर करने वाली चित्रमय चेतावनियों का अंकन जारी रखा जाएगा।

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में तंबाकू उत्पाद पैकेट्स के **दोनों पार्श्वों के 85% भाग पर चित्रमय चेतावनी के अनिवार्य** प्रदर्शन हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2014 (COTPA) के तहत अप्रैल 2018 में अपनी राजपत्रित अधिसूचना में नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया था।
- चित्र, तंबाकू प्रयोक्ता हेतु नि:शुल्क सहायता और दिशा-निर्देशन के लिए समर्पित एक **टोल-फ्री नंबर** के साथ "तंबाकू के सेवन से कर्क रोग होता है" (Tobacco Causes Cancer) शब्दों के साथ मुद्रित होना चाहिए।

VISION IAS

4.1.11. विश्व स्वास्थ्य संगठन की 71वीं सभा

(71st Assembly of WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) की 71वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया।

इस सभा की मुख्य विशेषताएं

- इस वर्ष की बैठक प्राथमिक रूप से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** पर केन्द्रित रही।
- इसके द्वारा **आगामी पांच वर्षों के लिए एक नई रणनीतिक योजना को विकसित किया गया है**। इस योजना का उद्देश्य विश्व को **सतत विकास लक्ष्यों,** विशेषकर सतत विकास लक्ष्य संख्या-3 (जोकि 2030 तक सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है) को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
- इस सभा के तहत 2023 तक प्राप्त किये जाने वाले निम्नलिखित **तीन लक्ष्यों** को निर्धारित किया गया है:
  - एक बिलियन अतिरिक्त लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लाभ प्रदान करना;
  - एक बिलियन अतिरिक्त लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना; तथा
  - एक बिलियन अतिरिक्त लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करना;
- WHO के अनुमानों के अनुसार इस **"ट्रिपल बिलियन"** लक्ष्य की प्राप्ति **29 मिलियन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है**।
- भारत द्वारा प्रारंभ किए गए **डिजिटल स्वास्थ्य संकल्प** को डिजिटल स्वास्थ्य पर अपने प्रथम संकल्प के रूप में अपनाया गया।
- सभा ने **सर्प दंश (Snake Bite) से निपटने** में देशों की सहायता करने हेतु भी एक प्रस्ताव पारित किया है।

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)

- यह WHO का **निर्णय-निर्माण निकाय** है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं। यह सभा कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किये गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर केंद्रित होती है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा के **मुख्य कार्य** हैं- संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं स्वीकृति प्रदान करना।
- इसका **आयोजन प्रतिवर्ष जेनेवा, स्विट्जरलैंड** में किया जाता है।

4.1.12. WHO द्वारा रोगों का नया वैश्विक वर्गीकरण

(WHO Releases New Global Classification of Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 11वां संस्करण (ICD-11)** जारी किया।

ICD के संबंध में

- **रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण** (International Classification of Diseases: ICD) शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं द्वारा आंकड़ों के लिए संदर्भ के रूप में सम्पूर्ण विश्व में उपयोग की जाने वाली एक आम भाषा है। साथ ही चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा रोग एवं अन्य स्थितियों का निदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- ICD वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की पहचान करने हेतु आधार के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्तियाँ (reimbursements) ICD कोडिंग पर निर्भर करती है।
- ICD-11 की महत्वपूर्ण विशेषताएं मई 2019 में **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)** में प्रस्तुत किया जाएगा।

VISION IAS

- **यह चिकित्सा और वैज्ञानिक समझ में प्रगति को अधिक गहनता से दर्शाता है:** नवीन ICD में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से संबंधित कोड **वैश्विक एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी प्रणाली (ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम: GLASS)** (बॉक्स में देखें) के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से संरेखित हैं।
- यह स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा के संबंध में **बेहतर ढंग से आंकड़े अभिग्रहीत करता है।**
- इसमें पहली बार **इलेक्ट्रॉनिक और यूजर फ्रेंडली फॉर्मैट** का भी उपयोग किया जा रहा है।
- **पारंपरिक चिकित्सा और यौन स्वास्थ्य पर अध्याय सहित नए अध्यायों का समावेश**
- WHO ने एडिक्टिव डिसॉर्डर्स (व्यसनकारी विकारों) से सम्बंधित खंड में **गेमिंग डिसऑर्डर** को भी जोड़ा है।

ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम (GLASS) के संबंध में

- अक्टूबर 2015 में आरंभ, इस प्रणाली को एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना की सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य **एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR)** पर साक्ष्य आधार मजबूत बनाने के लिए **वैश्विक निगरानी और अनुसंधान का समर्थन करना,** सूचित निर्णय निर्माण में सहायता करना तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कार्रवाइयों का संचालन करना है।
- यह AMR रुझानों की निगरानी करने तथा विश्वसनीय और तुलनात्मक डेटा उत्पन्न करने में सक्षम **राष्ट्रीय AMR निगरानी प्रणालियों** की स्थापना को प्रोत्साहित करता है और सुविधाजनक बनाता है। इसके लिए यह **वैश्विक स्तर पर AMR डेटा के संग्रह, विश्लेषण और सहभाजन के मानकीकृत दृष्टिकोण** को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है।

4.1.13. डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र

(Delhi Declaration on Digital Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट में संधारणीय विकास हेतु डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र को अपनाया गया।

इस घोषणा-पत्र के संबंध में अन्य तथ्य

- **इसने डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO के नेतृत्व का आह्वान किया।**
- यह 2023 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयुक्त डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप में तीव्रता लाने एवं उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट की मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप (GDHP) के सहयोग से **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा की गई थी।
  - **ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप (GDHP)** डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए सरकारों व राज्य-क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों और WHO के मध्य एक सहयोग है।

4.1.14 अस्ताना घोषणा

(Astaana Decleration)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन, कज़ाखस्तान में **अस्ताना घोषणा** के साथ सम्पन्न हुआ। **भारत सहित** संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों ने अस्ताना घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़** करने के लिए यह वैश्विक प्रतिबद्धता है।

VISION IAS

- यह घोषणा 1978 की ऐतिहासिक अल्मा-एटा घोषणा की पुष्टि करती है। **अल्मा-एटा घोषणा पहली घोषणा थी जिसने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य** की प्राप्ति हेतु **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** की पहचान की थी।

4.1.15. पार्टनर्स फोरम, 2018

(Partners Forum, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में चौथे पार्टनर्स फोरम का आयोजन किया गया।

विस्तृत विवरण

- 'पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ (PMNCH)' के सहयोग के साथ भारत सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की गयी थी।
- **PMNCH वस्तुत: 192 देशों के 1000 से अधिक संगठनों का एक गठबंधन है।** ये संगठन यौन, प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्षेत्रकों से संबद्ध हैं।
- इसे सितंबर 2005 में शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में तीव्रता लाने तथा किशोर, शिशु, नवजात और मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु आरम्भ किया गया था।
- इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय में है।
- PMNCH पार्टनर्स फोरम, पार्टनरशिप के उद्देश्यों के लिए सदस्यों की प्रतिबद्धता को समेकित करने और बढ़ाने के लिए तथा एक उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए एक नियमित वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह दूसरी बार है जब भारत द्वारा पार्टनर्स फोरम (इससे पूर्व 2012 में) की मेजबानी की गई।

4.1.16 द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019

(2nd World Integrated Medicine Forum 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में **होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए गोवा में **द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी, 2019** का आयोजन किया गया।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी का मिशन सार्वजनिक और निजी सहयोग को बढ़ावा देकर **पारंपरिक और साक्ष्य आधारित औषधि की एकीकृत प्रणाली** का विकास करना है।
- इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Homoeopathy:CCRH), होम्योपैथी फार्मेकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (HPCUS), फार्मेकोपिया कमीशन ऑफ़ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा किया गया था।

4.2. पोषण (Nutrition)

4.2.1. गंभीर तीव्र कुपोषण हेतु दिशा-निर्देश

(Guidelines for Severe Acute Malnutrition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड (नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रीशन; NTBN) ने गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों का अनुमोदन कर दिया है।

VISION IAS

गंभीर तीव्र कुपोषण

- गंभीर तीव्र कुपोषण अल्पपोषण का अत्यंत चरम और परिलक्षित रूप है। इस प्रकार के कुपोषित बच्चे अत्यधिक दुर्बल होते हैं तथा उन्हें जीवित रहने के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16)** के अनुसार देश में 5 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत 7.5% बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं।

दिशा-निर्देशों के विषय में

- ये उपाय कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिये **समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन** का हिस्सा हैं। सरकार ने अब तक केवल गंभीर रूप से कुपोषित ऐसे बच्चों जिनका चिकित्सकीय उपचार जटिल है, उसी को अस्पताल में भर्ती करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- ये दिशा-निर्देश गंभीर रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान करने, एडिमा (त्वचा शोथ) या रोग संबंधी लक्षण से ग्रस्त बच्चों को पृथक करने और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजने में **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) की भूमिका को रेखांकित** करते हैं।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता, **गर्म ताज़ा भोजन और घर ले जाने के लिए राशन** की व्यवस्था करनी होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि इस भोजन को तैयार करने में स्थानीय स्व-सहायता समूह, माताओं या ग्राम समितियों की सहायता ली जानी चाहिए।

नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रीशन (NTBN)

- **इसका गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत नीति आयोग के सदस्य डॉ.विनोद पॉल की अध्यक्षता में** पोषण पर नीति प्रासंगिक मुद्दों पर तकनीकी अनुशंसाएं देने हेतु किया गया है।
- NTBN पोषण संबंधी नीतिगत प्रासंगिक मुद्दों पर तकनीकी अनुशंसाओं की समीक्षा करने हेतु तीन माह में एक बार बैठक अवश्य करेगा। बोर्ड को अपने दैनिक कार्यों हेतु नीति आयोग के संबंधित प्रभागों द्वारा सेवाएं प्राप्त की जाएँगी।
- **बोर्ड की भूमिका सलाहकारी होती है तथा इसके महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय (terms of reference) निम्नलिखित हैं:**
  - निवारक उपायों (व्यवहार परिवर्तनों सहित) और गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के प्रबंधन पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श प्रदान करना।
  - प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना, मौजूदा वैज्ञानिक और परिचालनात्मक अनुसंधान का संश्लेषण करना, अनुसंधान अंतरालों की पहचान करना तथा अनुसंधान एजेंडा हेतु तकनीकी अनुशंसाएं करना।
  - राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, अन्य क्षेत्रों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पोषण संबंधी सर्वेक्षणों के डिजाइन पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना और संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अन्य सर्वेक्षणों के साथ उन्हें सुसंगत करना।
  - भारत के लिए विशिष्ट वृद्धि संकेतकों (ठिगनेपन सहित) का निरूपण करना।

NFHS के विषय में

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-16 राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की शृंखला में चौथा सर्वेक्षण है। पूर्ववर्ती सर्वेक्षण हैं- 1992-93 (NFHS-1), 1998-99 (NFHS-2) और 2005-06 (NFHS-3)।
- सभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक नोडल एजेंसी के रूप में सेवारत इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रबंधन में किए गए हैं।
- **NFHS-4 के निष्कर्ष** भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, UNICEF, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), और मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे।

VISION IAS

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष (*याद करने हेतु नहीं केवल सांकेतिक*)

संकेतक	NFHS-4 (2015-16)		
	नगरीय	ग्रामीण	कुल
शिशु मृत्यु दर (IMR)	29	46	41
पांच वर्ष तक के आयु वर्ग के तहत मृत्यु दर (U5MR)	34	56	50
परिवार नियोजन पद्धतियों का वर्तमान उपयोग (हालिया विवाहित महिलाएं, आयु वर्ग 15–49 वर्ष)	57.2	51.7	53.5
माताएं जिन्हें प्रसवपूर्व पूर्ण देखभाल प्रदान की गई थी (%)	31.1	16.7	21.0
संस्थागत जन्म (%)	88.7	75.1	78.9
12-23 माह की आयु के पूर्णतया प्रतिरक्षित बच्चे (BCG, खसरा, और पोलियो और DPT प्रत्येक की 3 खुराक) (%)	63.9	61.3	62.0
पांच वर्ष की आयु वर्ग के तहत ठिगनेपन से ग्रसित बच्चे (आयु के अनुसार ऊँचाई) (%)	31.0	41.2	38.4
पांच वर्ष की आयु वर्ग के तहत दुर्बलता से ग्रसित बच्चे (ऊँचाई के अनुसार वजन) (%)	20.0	21.5	21.0
पांच वर्ष की आयु वर्ग के तहत गंभीर रूप से दुर्बलता से ग्रसित बच्चे (ऊँचाई के अनुसार वजन) (%)	7.5	7.4	7.5
पांच वर्ष की आयु वर्ग के अल्पवजनी बच्चे (आयु के अनुसार वजन) (%)	29.1	38.3	35.8
15-49 आयु वर्ग की सभी महिलाएं जो रक्ताल्पता से ग्रसित हैं (%)	50.8	54.3	53.1
पांच वर्ष की आयु वर्ग के तहत रक्ताल्पता से ग्रसित बच्चे (6-59 माह) (%)	56.0	59.5	58.6

संबंधित तथ्य

- हाल ही में इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (IFPRI) द्वारा एक अनुसन्धान रिपोर्ट **"अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफिकल बर्डन ऑफ़ स्टंटिंग इन इंडिया"** का प्रकाशन किया गया था। इसने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) से आंकड़ों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में ठिगनेपन की भौगोलिक व्याप्तता को समझने का प्रयास किया है।
- **इसके अनुसार, भारत के उत्तरी और मध्यवर्ती राज्यों में उच्च-ठिगनेपन की समस्या से ग्रसित जिलों का अधिक सकेन्द्रण (ठिगनेपन के 80% मामले) है।** इसकी तुलना में दक्षिण भारतीय राज्य संयुक्त रूप से भारत में ठिगनेपन से ग्रसित बच्चों के लगभग 13% हेतु उत्तरदायी हैं।
- **इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (IFPRI) के विषय में**
  - इसे वर्ष 1975 में **विकासशील देशों** में स्थायी रूप से निर्धनता में कमी और भूख एवं कुपोषण की समाप्ति हेतु अनुसंधान आधारित नीति समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
  - यह CGIAR (कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च) का एक अनुसंधान केंद्र है। CGIAR सम्पूर्ण विश्व में विकास के लिए कृषि अनुसंधान में भागीदार है।
  - **इसके द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल फ़ूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की जाती है।**

4.2.2. पोषण अभियान

(Poshan Abhiyaan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले में औपचारिक रूप से पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) **(प्रधानमंत्री की समग्र पोषण हेतु एक अतिमहत्वपूर्ण योजना)** का शुभारम्भ किया गया।

VISION IAS

विवरण

- पोषण अभियान का उद्देश्य सहक्रियात्मक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक **जीवन चक्र अवधारणा** के माध्यम से चरणबद्ध रीति से देश से कुपोषण का उन्मूलन करना है।
- **कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:** यह जमीनी स्तर तक गहन निगरानी और अभिसरण कार्ययोजना (Convergence Action Plan) पर आधारित होगा। राष्ट्रीय पोषण अभियान (NNM) को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।
- **NNM का लक्ष्य** ठिगनेपन, अल्प-पोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरी कन्याओं में) तथा जन्म के समय शिशुओं के अल्प वजन संबंधी कारक को प्रति वर्ष क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% तक **कम करना है।** यद्यपि ठिगनेपन को प्रति वर्ष कम से कम 2% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु अभियान के तहत ठिगनेपन को 38.4% (NFHS-4) से घटाकर वर्ष 2022 तक 25% **(वर्ष 2022 तक मिशन 25)** तक लाना है।
- अभियान की प्रमुख गतिविधियों में से एक **समेकित बाल विकास सेवा-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ICDS-CAS)** का क्रियान्वयन करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ICDS-CAS ऐप संस्थापित मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के संदर्भ में सूचनाओं का प्रबंधन किया जाता है।

पोषण अभियान सभी मंत्रालयों की पोषण संबंधी पहलों की निगरानी, उनका निरीक्षण, उनके लिए लक्ष्य निर्धारण तथा उनका दिशा-निर्देशन करने वाला एक **शीर्ष निकाय** है।
प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- कुपोषण को दूर करने की दिशा में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं का मापन।
- अति तीव्र अनुक्रियाशील अभिसरण तंत्र की स्थापना करना।
- ICT आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली की स्थापना करना ।
- IT आधारित उपकरणों का प्रयोग करने के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक लेखा परीक्षण।
- पोषण अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पोषण संबंधी पहलों में जनआंदोलनों के द्वारा जन-भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पोषण अभियान के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को समय-समय पर नीतिगत समर्थन एवं दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, के सचिव की अध्यक्षता में एक **कार्यकारी समिति** की स्थापना की गई है।
- मंत्रालयों के मध्य नीति निर्देशन, समीक्षा, प्रभावी समन्वय और अभिसरण हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में **भारत की पोषण चुनौतियों से संबंधित राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है।** पोषण की चुनौती से निपटना इसका एक क्षेत्रीय उत्तरदायित्व है।
- **सितम्बर 2018 को सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है।**

4.2.3 मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day Meal Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **मध्याह्न भोजन (MDM) योजना** के तहत मानदंडों को संशोधित करने के लिए मंजूरी दी है।

योजना के बारे में

- इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के साथ पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है।

VISION IAS

- इसमें गर्मी की छुट्टी के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्र में** प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।
- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है और इसकी लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है।
  - केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
  - खाना पकाने, अवसंरचना विकास, खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रामिक का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। केंद्र सरकार इस राशि का अधिकतम हिस्सा वहन करती है।
  - राज्य सरकारों के योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है।

हाल में संशोधित किए गए मानदंड

- मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने हेतु **मुद्रास्फीति सूचकांक से संबद्ध कुकिंग लागत** में वार्षिक वृद्धि।
- **दो नए घटकों** को भी स्वीकृति प्रदान की गई है:
  - **रसोई-सह-भंडार घर की मरम्मत**: केंद्र और राज्यों के मध्य साझाकरण के आधार पर दस वर्ष पूर्व निर्मित रसोई-सह-भंडार घर की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये की सहायता।
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से फ़ूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों में किचन गार्डनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशा-निर्देशों में छोटे मोटे बदलाव के साथ योजना को क्रियान्वित करने का अधिकार सौंपा गया है।
  - राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की पूर्व अनुमति से, अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा नए हस्तक्षेपों में उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
- मौजूदा दिशा-निर्देशों में न्यून संशोधनों के साथ से जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को **योजना के क्रियान्वयन की शक्ति का प्रत्यायोजन।**
- अन्य मानदंडों में शामिल हैं:
  - **बफर स्टॉक से दालों का प्रयोग-** राज्य और संघ शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा निर्मित केंद्रीय बफर स्टॉक से मध्याह्न भोजन हेतु अपनी स्थानीय अभिरूचि के अनुसार दालों की खरीद कर सकते हैं।
  - **उपस्थिति की निगरानी-** सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि स्वचालित निगरानी प्रणाली (AMS) के माध्यम से 100% विद्यालयों से दैनिक आंकड़ों को अपलोड किया गया है।
  - **मध्याह्न भोजन (MDM) के तहत भोजन सूची-** राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उन भोजन सूची के विकास हेतु तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है जो स्थानीय अभिरूचि और स्थानीय उत्पाद को प्रतिबिंबित करते हैं तथा जो विभिन्न दिनों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं।
  - **तिथि भोजन:** MDM योजना में योगदान कर बच्चों के जन्म, लोगों के विवाहोत्सव या जन्मदिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण दिवसों को मनाने हेतु समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करना। **तिथि भोजन MDM का स्थानापन्न नहीं है,** बल्कि MDM को संपूरित करता है या उसका अनुपूरक है।
  - **MDM हेतु जेलों, मन्दिरों और गुरुद्वारों का प्रयोग:** सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मध्याह्न भोजन योजना में समुदायों और जेलों, मंदिरों एवं गुरुद्वारों जैसे अन्य अभिकरणों को शामिल करने का परामर्श दिया गया है।

4.2.4. आशा, ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

(ASHA, ANM and Anganwadi Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले नियमित पारिश्रमिक को दोगुना करने की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं तथा उनके सहायकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नि:शुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) को दिए जाने वाले मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है।

VISION IAS

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के तीन संवर्ग विद्यमान हैं

- **सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM)-** ये टीकाकरण और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों का प्रबंधन करती हैं। ये ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में निम्नतम सुविधा युक्त उप-केंद्रों से संबंधित होती हैं।
- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)-** ये छोटे बच्चों, किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषक खाद्य पदार्थों का प्रबंधन करती हैं। ये जल एवं स्वच्छता में सुधार करने, टीकाकरण गतिविधियों में भाग लेने और अन्य विशेष स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु स्वास्थ्यप्रद व्यवहारों को प्रोत्साहित करने एवं समुदाय को एकजुट करने में भी सहायता करती हैं।
- **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA)-** वे महिलाओं को प्रसवपूर्व जांच करवाने और शिशु को स्वास्थ्य केन्द्रों में जन्म देने हेतु प्रोत्साहित करती हैं, टीकाकरण दिवसों जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ANM की सहायता करती हैं। साथ ही ये मूलभूत प्राथमिक सहायता और चिकित्सा आपूर्तियाँ जैसे कि ORS, गर्भनिरोधक गोलियां और आयरन फोलिक एसिड टेबलेट्स आदि प्रदान करती हैं।
    - आशा कार्यकर्ता अपने गाँव से संबंधित होती हैं तथा वे लोगों को उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जुड़ने हेतु प्रेरित करती हैं।
- ANM संवर्ग ग्राम-स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य सर्वाधिक सुशिक्षित एवं सबसे पुराना संवर्ग है, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में की गई थी। AWW भी बाल देखभाल और पोषण के क्षेत्र में भलीभांति स्थापित है तथा 1970 के दशक के मध्य से यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। आशा पूर्णतया एक नवीन संवर्ग है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। नए और बाद में स्थापित किए जाने के कारण आशा कार्यकर्ताओं की ANM तथा AWW द्वारा निगरानी एवं सहायता की जाती है।

4.2.5. सुर्ख़ियों में रहीं महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स

(Important Reports in News)

- **ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018-** यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भूख के व्यापक रूप से मापन करने एवं ट्रैक करने हेतु निर्मित एक उपकरण है। इस इंडेक्स को वार्षिक रूप से **वेल्थुंगरहिल्फ़ और कंसर्न वर्ल्डवाइड** द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
    - इंडेक्स में भारत को 119 देशों में से 103वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा देश में भूख के स्तर को एक **"गंभीर (serious) स्थिति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञातव्य की वर्ष 2017 से भारत के स्थान में 3 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है।
    - बालकों में ठिगनेपन के अतिरिक्त भारत ने तीन संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

- **द स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्यूरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड-** यह खाद्य और कृषि संगठन (FAO), इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा **संयुक्त रूप से तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है।**
    - यह भूखमरी का अंत करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार करने में हुई प्रगतियों पर सूचना प्रदान करने तथा सतत विकास लक्ष्य हेतु एजेंडा 2030 के संदर्भ में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रमुख चुनौतियों पर गहन विश्लेषण प्रदान **करने का प्रयास करती है।**
    - **फ़ूड इंसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल (FIES)** रिपोर्ट द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मापकों में से एक है, जो खाद्य तक पहुंच के लिए

VISION IAS

लोगों की क्षमता के मापन के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कारों पर आधारित एक नवीन मापक (वर्ष 2017 में प्रारम्भ) है।

- वर्ष 2018 की रिपोर्ट वैश्विक भूख में वृद्धि की पुष्टि करती है: लगभग एक दशक पूर्व के स्तरों का अवलोकन करते हुए यह निर्धारित किया जा सकता है कि विगत तीन वर्षों से भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

- **ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट-** यह सरकार, अनुदान दाताओं, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र और व्यवसायों आदि के रूप में 100 अंशधारकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी हेतु एक तंत्र के रूप में वर्ष 2013 में प्रथम **न्यूट्रीशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G)** के पश्चात् अस्तित्व में आई थी।
  - इसने यह माना कि भारत एक **व्यापक कुपोषण संकट** का सामना कर रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां विश्व में **'ठिगनेपन' (stunted) और 'दुर्बलता' (wasted)** से पीड़ित बच्चों की **सर्वाधिक संख्या है।**

4.3. स्वच्छता

(Sanitation)

4.3.1. स्वच्छ सर्वेक्षण, 2019

(Swachh Survekshan, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, SBM ODF+ और SBM ODF ++ प्रोटोकॉल और वेब-आधारित नागरिक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म, स्वच्छ मंच का शुभारंभ किया।
- हाल ही में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के परिणाम घोषित किए गए।

स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्य हैं:
  - खुले में शौच का उन्मूलन
  - हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन
  - आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  - स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करना
  - स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से इसके संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना
  - शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि और
  - पूंजी व्यय, संचालन और रखरखाव व्यय में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक सक्षमकारी परिवेश का निर्माण करना।
- **इस मिशन के मूल में छह घटक हैं:**
  - व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)
  - सामुदायिक शौचालय
  - सार्वजनिक शौचालय
  - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  - सूचना और संचार प्रशिक्षण (IEC) और सार्वजनिक जागरूकता
  - क्षमता निर्माण

स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम 2019

इंदौर को निरंतर तीसरे वर्ष के लिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कर्नाटक में मैसूर था।

नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल क्षेत्र को 'सबसे स्वच्छ छोटे शहर' का पुरस्कार दिया गया, उत्तराखंड के गौचर को केंद्र सरकार के

VISION IAS

सर्वेक्षण में 'बेस्ट गंगा टाउन' चुना गया। बड़े शहरों में सर्वाधिक स्वच्छ शहर 'का पुरस्कार अहमदाबाद को मिला है, जबकि रायपुर 'स्वच्छता की दिशा में सर्वाधिक तीव्रता से बढ़ने वाला शहर' है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के चौथे संस्करण का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत सभी शहरों को रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत (स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 4,203 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई) सम्मिलित करना है। मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व **क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI)** पर है।

इस सर्वेक्षण की विशिष्ट विशेषताओं के अंतर्गत व्यापक स्तर पर जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और कचरे एवं खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में आरम्भ पहलों की संधारणीयता सुनिश्चित करना, विश्वसनीय परिणाम प्रदान करना, जिनके प्रमाणन की पुष्टि तृतीय पक्ष द्वारा किया जाएगा,इत्यादि सम्मिलित हैं।

आंकड़ों को 4 व्यापक स्रोतों से एकत्र किया जाएगा - सेवा स्तर पर प्रगति', प्रत्यक्ष निगरानी, नागरिकों से प्राप्त फीडबैक और प्रमाणन (हाल ही के सर्वेक्षण में जोड़ा गया है)। प्रमाणन दो विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाएगा:

- **कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग** (अंकों की 20% भारिता) - इसके प्रमुख घटकों में निकास और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से संबंधित कचरे का निपटान करना शामिल हैं। ये कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं।
- **खुले में शौच से मुक्त प्रोटोकॉल (5% भारिता)**

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

- इसकी स्थापना **भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप** से की गई थी। भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख औद्योगिक संघों अर्थात् भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचे** की स्थापना और प्रचालन करना तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के **समान प्रतिनिधित्व के साथ** 38 सदस्यों की **परिषद द्वारा शासित होता** है।
- भारतीय उद्योग द्वारा सरकार को दी गई अनुशंसाओं के आधार पर **प्रधानमंत्री द्वारा QCI के अध्यक्ष** की नियुक्ति की जाती है।
- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन** औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, QCI के लिए नोडल मंत्रालय है।

SBM ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल

- मार्च 2016 में जारी मूलभूत ODF प्रोटोकॉल के अनुसार "एक शहर/वार्ड को एक ODF शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा , यदि दिन के किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ न पाया गया हो। देश में अब तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 3223 शहरों को शौच से मुक्त घोषित किया गया है। ODF+और ODF++ प्रोटोकॉल SBM-U के लिए अगले कदम है। इनका उद्देश्य स्वच्छता परिणामों में संधारणीयता सुनिश्चित करना है। "
- **ODF+ प्रोटोकॉल** इंगित करता है कि एक शहर वार्ड या कार्य क्षेत्र को ODF+ घोषित किया जा सकता है ," यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति को खुले में शौच और/ अथवा मूत्र त्याग करते हुए नहीं पाया जाता है, साथ ही सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील हो और उनका बेहतर रख रखाव किया जाता हो। "
- ODF++ प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस शर्त को जोड़ा गया है कि" बिना **उपचारित मल/सेप्टेज और सीवेज को नालियों,** जल निकायों या खुले क्षेत्रों में प्रवाहित और डंप किए बिना, मल/सेप्टेज और सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित करना। "

VISION IAS

- इस प्रकार **SBM ODF+ प्रोटोकॉल** मुख्यतः सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालयों की कार्यात्मकता, सफाई और रख रखाव सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है, जबकि SBM ODF++ सुरक्षित नियंत्रण , प्रसंस्करण और मल एवं सेप्टेज का निपटान सहित पूर्ण स्वच्छता आधारित मूल्यों की शृंखला को संबोधित करके स्वच्छता में संधारणीयता प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

स्वच्छ मंच वेब पोर्टल

- यह एक वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करने वाले सभी हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाना है। यह हितधारकों को उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्वैच्छिक अवसरों का निर्माण करने या इन अवसरों हेतु आमंत्रित करने या इनमे भागीदारी करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह इस पहल में सहभागी नागरिकों और संगठनों की तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान करेगा, साथ ही 'स्वच्छता' के लिए नागरिकों/संगठनों के प्रयासों और योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु यह स्वैच्छिक रूप से किये गए कार्य घंटों की संख्या को भी रिकॉर्ड तैयार करेगा।
- नागरिको शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करने हेतु स्वच्छ मंच को नागरिक स्वच्छता अभियान के साथ एकीकृत भी किया जाएगा।

नए प्रोटोकॉल में सार्वजनिक स्थानों पर मूत्र त्याग को भी सम्मिलित करना - यह पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने अपने एजेंडे में आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर मूत्र त्याग को पूर्ण रूप से समाप्त करने को शामिल किया है।

4.3.2. दरवाज़ा बंद अभियान

(Darwaza Band Campaign)

- हाल ही में **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय** ने **शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहन तथा खुले में शौच से मुक्ति** हेतु दरवाजा बंद नामक एक देश व्यापी अभियान का दूसरा भाग आरम्भ किया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य:

- इसे **स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)** के तत्वाधान में प्रोत्साहित किया गया है तथा इसके माध्यम से घरों में शौचालय के होते हुए भी उनका उपयोग न करने वाले पुरुषों में स्वभावजन्य परिवर्तन लाने की परिकल्पना की गई है।
- इस भाग के तहत अभियान का लक्ष्य शौचालयों के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण भारत में गाँवों के खुले में शौच से मुक्त दर्जे को बनाए रखना है।
- **विश्व बैंक (World Bank)** दरवाजा बंद अभियान के दूसरे भाग को समर्थन प्रदान कर रहा है।

4.3.3. स्वच्छता ही सेवा अभियान

(Swachhata Hi Seva Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान का शुभारंभ किया गया।

अभियान के बारे में

- यह एक जन आंदोलन है जो वर्ष 2017 में आरंभ किए गए अभियान का द्वितीय संस्करण है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के विज़न को गति प्रदान करना है।
- **SHS के उद्देश्य**
  - स्वच्छ भारत अभियान की गति में इसकी चौथी वर्षगांठ तक **तीव्रता** से वृद्धि करना।
  - स्वच्छ भारत जन आंदोलन को **पुनः सक्रिय करना** और संधारणीयता की नींव स्थापित करना।
  - "प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के रूप में स्वच्छता" की अवधारणा को **सुदृढ़ करना**।
  - महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष समारोह को **राष्ट्रव्यापी अभियान** के साथ आरंभ करना।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य महिला सरपंचों, छात्रों, फिल्मी हस्तियों, खेल से संबंधित व्यक्तियों आदि जैसे जमीनी स्तर के स्वच्छता चैंपियनों के माध्यम से विशाल समुदाय के आंदोलन के साथ **श्रमदान गतिविधियों** को शामिल करना है।
- इस अभियान का उद्देश्य मीडिया के साथ संलग्न होना है जो स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संबंधित तथ्य :

- **स्वच्छ शक्ति -2019 कार्यक्रम**
- यह महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित **महिला सरपंचों का एक सम्मेलन** है, जिसे कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में निभाई गई नेतृत्व भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है।**
- इसे **हरियाणा सरकार** के सहयोग से **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम को **प्रथम बार** 2017 में **गांधीनगर**, गुजरात में आयोजित किया गया था।

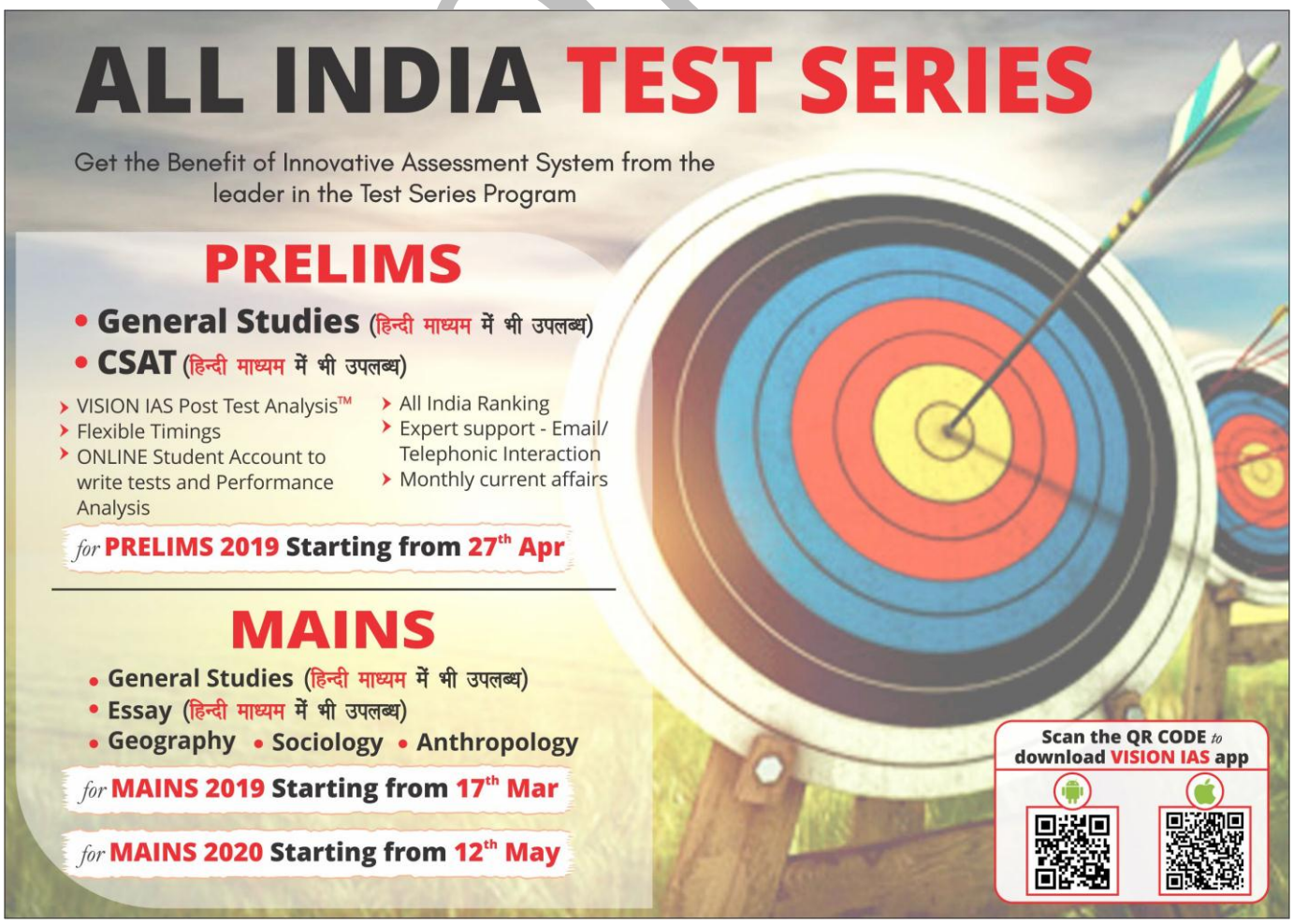

5. विविध (Miscellaneous)

5.1. SDG इंडिया इंडेक्स - बेसलाइन रिपोर्ट 2018

(SDG India Index - Baseline Report 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स - बेसलाइन रिपोर्ट, 2018 जारी की है।

SDG इंडिया इंडेक्स

- नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स को **सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)**, **ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र** के सहयोग से तैयार किया है।
- SDG इंडिया इंडेक्स **नीति आयोग द्वारा चयनित 62 प्राथमिकता संकेतकों** पर सभी राज्यों और UTs की प्रगति को ट्रैक करता है। यह MoSPI के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित होता है जिसमें 306 संकेतक शामिल होते हैं। ये संकेतक केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई दौर के परामर्श पर आधारित होते हैं।
- यह भारत सरकार की पहलों और योजनाओं के परिणामों पर उनकी प्रगति का मापन करता है।
- SDG इंडिया इंडेक्स में 17 SDGs में से 13 SDGs (लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर) को शामिल किया गया है।
- प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 0-100 की सीमा के मध्य एक समग्र स्कोर की गणना की गई है।
- यदि किसी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ने 100 स्कोर प्राप्त किया है, तो यह दर्शाता है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।
- SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर वर्गीकरण मानदंड इस प्रकार है:
  - आकांक्षी (Aspirant): 0-49
  - अच्छा प्रदर्शन (Performer): 50-64
  - अग्रणी (Front Runner): 65-99
  - लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever): 100
- **केरल और हिमाचल प्रदेश** 69 के स्कोर के साथ राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता राज्य हैं। **चंडीगढ़** 68 के स्कोर के साथ केंद्र-शासित प्रदेशों में अग्रणी है।
- SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार, देश का समग्र स्कोर 58 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि देश ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आधे से अधिक प्रगति कर ली है।
- सूचकांक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SDGs पर उनके प्रारंभिक बिंदु का आकलन करने में उपयोगी हो सकता है:

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI)

- यह एक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी संगठन है जो विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- भारत अभी तक GGGI का सदस्य देश नहीं बना है, किन्तु इसे एक साझेदार देश के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सतत विकास लक्ष्य

- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को शामिल किया गया हैं।
- इन लक्ष्यों को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) के स्थान पर लाया गया हैं। MDGs 2000 UN द्वारा निर्धारित

VISION IAS

आठ लक्ष्यों का एक समूह था।

- SDGs की उत्पत्ति 2012 में रियो डी जनेरियो में सतत विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।

लक्ष्य 1: शून्य गरीबी

लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी

लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली

लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

लक्ष्य 7: सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा

लक्ष्य 8: उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि

लक्ष्य 9:उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं

लक्ष्य 10:असमानताओं में कमी

लक्ष्य 11: संवहनीय शहर और समुदाय

लक्ष्य 12 :संवहनीय उपभोग और उत्पादन

लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई

लक्ष्य 14: जलीय जीवों की सुरक्षा

लक्ष्य 15: स्थलीय जीवों की सुरक्षा

लक्ष्य 16: शांति न्याय और सशक्त संस्थाए

लक्ष्य 17: लक्ष्य हेतु भागीदारी

5.2 SDGs की प्रगति के आकलन हेतु 'दुबई डिक्लेरेशन को अपनाया गया

('Dubai Declaration' Adopted to Measure Progress of SDG)

सुर्खियों में क्यों?

यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेटा फोरम, 2018 के समापन पर, **'दुबई डिक्लेरेशन'** को अपनाया गया।

इस डिक्लेरेशन के संबंध में

- दो-तिहाई संकेतकों से संबंधित आंकड़ों के अभाव के कारण SDG की वास्तविक प्रगति का आकलन करना कठिन है। कुल सहायता (aid) में से केवल 0.3% का प्रयोग सांख्यिकीय प्रणालियों के विकास हेतु किया जाता है।
- इसकी पहचान करते हुए दुबई डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। इसमें 2030 SDGs की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने और इसकी निगरानी के उद्देश्य से डेटा एवं सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु वित्तीयन को बढ़ावा देने के उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- यह डिक्लेरेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निधियों को संगठित करने और अधिक प्रभावी डेटा भागीदारियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से केप टाउन ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेटा के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

केपटाउन ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेटा

- इसे **प्रथम UN वर्ल्ड डेटा फोरम** में अनौपचारिक रूप से शुरू किया गया और मार्च 2017 में UN स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा अपनाया गया।
- इसका उद्देश्य, **एजेंडा 2030 को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सांख्यिकीय क्षमता निर्माण** की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

VISION IAS

UN वर्ल्ड डेटा फोरम (UN World Data Forum)

- UN स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट **'ए वर्ल्ड दैट काउंट्स'** की अनुशंसा के बाद इसका गठन किया गया था।
- प्रथम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेटा फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 15 से 18 जनवरी 2017 के मध्य किया गया था।
- द्वितीय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेटा फोरम का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 22 से 24 अक्टूबर 2018 के मध्य किया गया।
- इसका उद्देश्य विभिन्न पेशेवर समूहों यथा IT विशेषज्ञों, भू-स्थानिक सूचना प्रबंधकों, डेटा वैज्ञानिकों आदि के साथ-साथ सिविल सोसाइटी के हितधारकों के मध्य सहयोग को तीव्र करना है।
- भारत में समीक्षा प्रक्रिया का नेतृत्व NITI आयोग, विदेश मंत्रालय से संबद्ध एक थिंक टैंक 'रिसर्च एंड इनफॉर्मेशन सिस्टम' तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review: VRN) रिपोर्ट तैयार करते हैं।

5.3. प्रत्यायन पर विश्व सम्मेलन

(World Summit on Accreditation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह प्रत्यायन के विषय पर भागीदारों को अपने ज्ञान एवं सूचनाओं को साझा करने का मंच प्रदान करता है।

WOSA से संबंधित तथ्य

- **यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा आयोजित द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन** है।
- WOSA 2018 की थीम- **"परिणाम-आधारित प्रत्यायन के समक्ष चुनौतियां एवं अवसर"** है।

NBA से संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- प्रारंभिक तौर पर इसे **AICTE** (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्) अधिनियम,1994 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह प्रत्यायन के माध्यम से भारत में पेशेवर एवं तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- NBA को **जून 2014 से वॉशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्ता का दर्जा प्रदान किया गया है**।

5.4 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट

(UN Global Media Compact)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत के **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** सहित विश्व भर के तीस से अधिक संगठन वैश्विक मीडिया कॉम्पैक्ट के निर्माण हेतु एकजुट हुए।

कॉम्पैक्ट से संबंधित अन्य तथ्य:

- यह यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ की गई संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है·
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने और सरकारों में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के साथ कंटेंट पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए विश्व-भर के संगठनों को प्रेरित करने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनके संसाधनों और रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाने का प्रयास करता है।

VISION IAS

5.5. दक्षिण-पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क

(South-East Asia Regulatory Network: SEARN)

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 'औषधीय उत्पादों तक पहुंच पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन: सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति' के दौरान SEARN हेतु **सूचना साझा मंच (ISP) गेटवे** का शुभारंभ किया गया। इस गेटवे को **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (CDAC)** द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में **उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करने** हेतु औषधीय उत्पादों से संबंधित सूचना साझाकरण, सहयोग तथा समेकन में वृद्धि करना है।
- इसका नेतृत्व एक परिचालन समूह (steering group) द्वारा किया जाएगा। भारत इस परिचालन समूह का एक स्थायी सदस्य है।

5.6. वेब वंडर वीमेन अभियान

(Web-Wonder Women Campaign)

- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन अभियान वेब वंडर वीमेन (#www : Web- WonderWomen') प्रारंभ किया गया है।
- इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा संचालित करने वाली महिलाओं को चयनित करना और उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना है। यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा।
- इस अभियान के तहत विश्व में कहीं भी कार्यरत या निवास कर रही भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन की पात्र हैं। चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फ़ाइनल में पहुँचने वाली प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।

5.7. महिलाओं का वैश्विक विकास और समृद्धि (W-GDP) पहल

(Women's Global Development and Prosperity (W-GDP) Initiative)

- हाल ही में **व्हाइट हाउस** ने **इवांका ट्रम्प के नेतृत्व में एक सरकारी परियोजना** W-GDP पहल प्रारम्भ की है।
- इसका उद्देश्य **रोजगार प्रशिक्षण, वित्तीय समर्थन और विधिक या विनियामकीय सुधारों जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता करने हेतु** वर्तमान कार्यक्रमों का समन्वय तथा नए कार्यक्रमों का विकास करना है।
- इसका लक्ष्य **वर्ष 2025 तक विकासशील देशों में 50 मिलियन महिलाओं** तक पहुंच स्थापित करना है।
- इस पहल के लिए यू.एस.एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने प्रारंभ में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक कोष की स्थापना की है। इसके साथ-साथ यह प्रयास सार्वजनिक और निजी संसाधनों पर आधारित होगा।

5.8. गुड समैरिटन लॉ

(Good Samaritan Law)

- गुड समैरिटन लॉ विधेयक पारित करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है

अन्य संबन्धित तथ्य

- इस विधि का उद्देश्य गुड समैरिटन को संरक्षण प्रदान करना और गोल्डन आवर के भीतर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है तथा लोगों को पुलिस और जांच के दौरान उत्पीड़न के भय के बिना पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- चिकित्सा शब्दावली में, **'गोल्डन ऑवर' को** एक ट्रॉमेटिक इंजरी के **बाद के प्रथम घंटे** के रूप में परिभाषित किया गया है जब आपातकालीन उपचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

VISION IAS

5.9 रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स

(Reports and Indexes)

रिपोर्ट्स/इंडेक्स	विवरण
ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2018 (इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी)	• यह वैश्विक शांति का एक मापक है। • यह तीन विषयगत डोमेन के तहत 23 संकेतक का उपयोग करता है - ○ समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर ○ घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और ○ सैन्यीकरण का स्तर • 2018 में भारत 163 देशों में से 136वें स्थान पर रहा। • आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश जबकि सीरिया सबसे अशांत देश के रूप में वर्गीकृत किया गया।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2018 (द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी)	• यह एक वार्षिक सूचकांक है जो विश्व के शहरों की उनके निवास योग्य स्थितियों के अनुसार रैंक जारी करता है। • यह पांच व्यापक श्रेणियों-**स्थिरता (25%), स्वास्थ्य सेवा (20%), संस्कृति और पर्यावरण (25%), शिक्षा (10%) और आधारभूत अवसंरचना (20%)** को सम्मिलित करने वाले 30 संकेतकों पर आधारित है और प्रत्येक शहर को रैंक प्रदान करने (मापने) के लिए **न्यूयॉर्क शहर को एक मानदंड (बेसलाइन) शहर** के रूप में उपयोग करता है। • ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2018 में **दमिश्क (सीरिया) को** रहने योग्य सबसे निम्नस्तरीय शहर वहीं **वियना** रहने योग्य सबसे बेहतर शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • वर्ष 2018 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत के दो शहरों, दिल्ली (112) और मुंबई (117) को सम्मिलित किया गया है।
वैश्विक पारिश्रमिक रिपोर्ट 2018-19 (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी)	• यह ILO का एक वार्षिक प्रकाशन है जो कर्मचरियों के वेतन के विभिन्न पहलुओं और न्याय संगत विकास एवं सामाजिक न्याय पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर केंद्रित है। **ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के निष्कर्ष** • **2017 में वास्तविक वैश्विक पारिश्रमिक वृद्धि दर (1.8%) 2008 के बाद से अब तक की सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि दर थी।** • उच्च आय वाले देशों में निम्न एवं मध्य आय वाले देशों की तुलना में कम वेतन असमानता विद्यमान है। जैसे स्वीडन में सबसे न्यूनतम वेतन असमानता विद्यमान है। • 2008-17 में दक्षिण एशिया में भारत की औसत वास्तविक पारिश्रमिक वृद्धि दर सर्वाधिक (5.5%) है। • साथ ही भारत और पाकिस्तान में लैंगिक वेतन अनुपात सर्वाधिक रहा।
वैश्विक शिक्षा निगरानी (GEM) रिपोर्ट 2019 (यूनेस्को द्वारा जारी)	• रिपोर्ट का शीर्षक **प्रवास, विस्थापन और शिक्षा (Migrations, Displacement and Education)** है, जो शिक्षा पर प्रवास के प्रभाव की व्याख्या करती है। • चीन के साथ-साथ **भारत** वैश्विक जनसंख्या के सर्वाधिक **आंतरिक स्थानांतरण वाला देश** है
ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 **(वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी)**	• ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 के तहत विभिन्न देशों को **3 प्रमुख संकेतकों यथा**: आधुनिक दासता के शिकार लोगों की संख्या, आधुनिक दासता के प्रति सरकार की प्रतिक्रियाएं, और लोगों की इसके प्रति सुभेद्यता में वृद्धि करने वाले कारक, के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। • 2013, 2014 और 2016 के पश्चात् यह इसका चौथा संस्करण है।

VISION IAS

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 (विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी)	• इसे 2006 में लैंगिक असमानताओं की तीव्रता को मापने और समय के साथ हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। • रिपोर्ट 149 देशों का चार विषयगत आयामों, यथा -**आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत लैंगिक समानता के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई प्रगति के संबंध में परीक्षण करती है।** • भारत में **समान कार्यों हेतु वेतन संबंधी समानता में सुधार** दर्ज किया गया है तथा इसमें पहली बार तृतीयक शिक्षा अंतराल को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। **हालांकि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है** इसके कारण विगत एक दशक में भारत विश्व में अत्यल्प प्रगति करने वाले देश के रूप में सम्मिलित है।

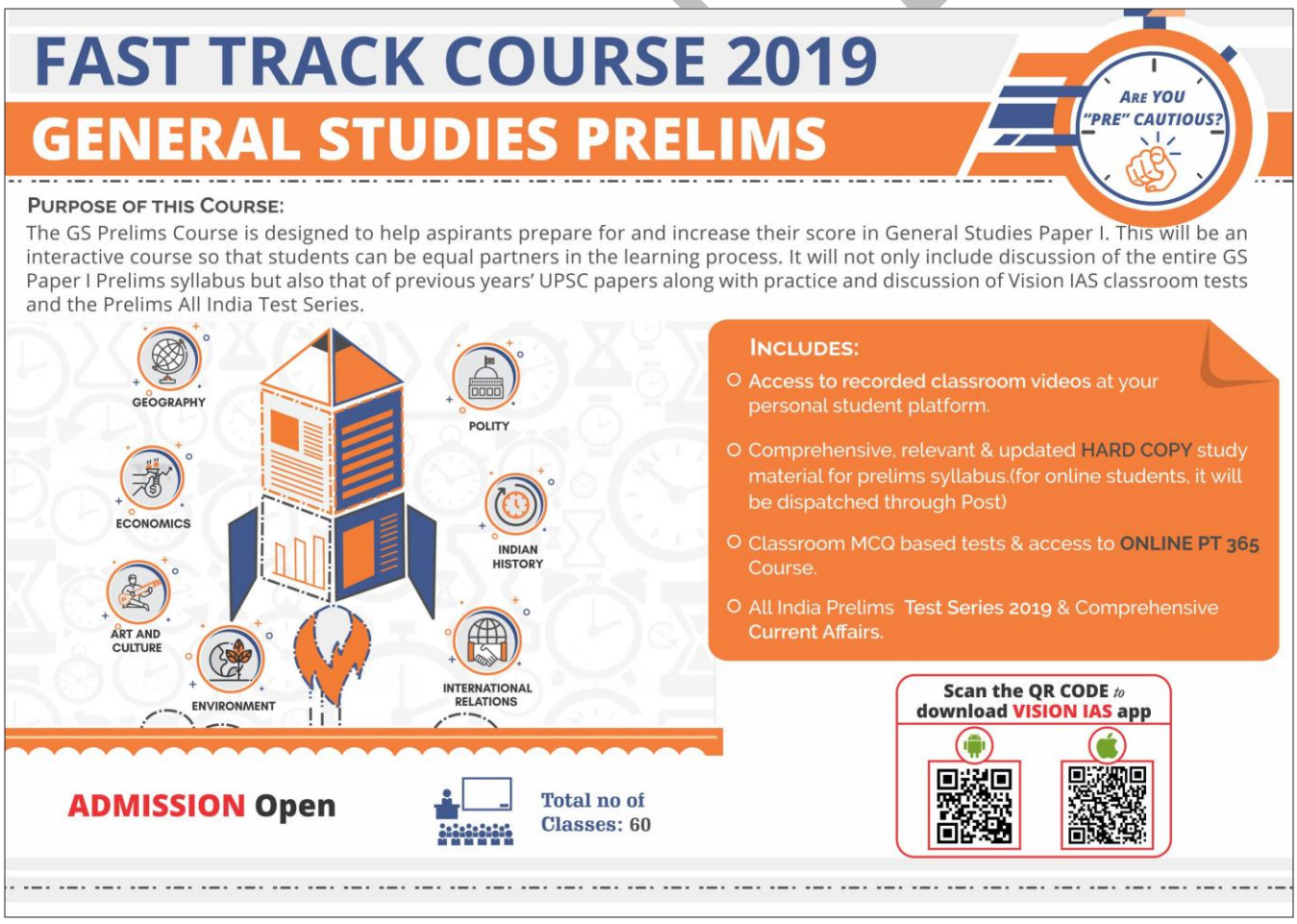

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS